प्रेषक,

मण्डलायुक्त,
झाँसी मण्डल,
झाँसी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली–110001

संख्या–2031/26–विकास सहायक–5 (2021–22) दिनाँक : 12 सितम्बर ,2022

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 25–01–2022 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त अन्तिम आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 25–01–2022 के अनुपालन में आदेशानुसार समिति की बैठक दिनाँक 25–02–2022 को आहूत की जा चुकी है। इसी प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण हेतु सर्वसम्मिति से दिनाँक 29–03–2022 की तिथि नियत की गयी थी, इस नियत तिथि को समिति के सदस्यों द्वारा लक्ष्मी तालाब, नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। प्रकरण में समिति द्वारा पत्र संख्या–985/26–विकास सहायक (2021–22) दिनांक 02–04–2022 के माध्यम से अन्तरिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी तथा कतिपय बिन्दुओं पर समय लगने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया गया था। समिति द्वारा अन्तरिम आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सुसंगत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा आवश्यक अभिलेखों/साक्ष्यों का अनुशीन उपरान्त अन्तिम आख्या तैयार की गयी है जो एतद् पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि कृपया समिति द्वारा तैयार की गयी आख्या दिनांक 12–09–2022 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक–समिति की आख्या दिनांक : 12–09–2022

भवदीय,

(डॉ0 डी0के0 सोनी)
Additional Director,
CPCB, Lko
(नोडल एजेंसी)

भवदीय,

(संजय गोयल)
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी
(नोडल एजेंसी)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर OA संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 25–01–2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त अन्तिम आख्या का प्रेषित किया जाना :

अन्तिम आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष श्री नरेन्द्र कुशवाहा एवं श्री गिरिजा शंकर राय द्वारा प्रस्तुत किए गए OA संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा अभिलेखों तथा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मण्डलायुक्त कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–985/26–विकास सहायक (2021–22) दिनांक 02–04–2022 के माध्यम से अन्तरिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी तथा कतिपय बिन्दुओं पर समय लगने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया गया था। समिति द्वारा अन्तरिम आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सुसंगत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा आवश्यक अभिलेखों/साक्ष्यों का अनुशीलन उपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अन्तिम आख्या निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही है :–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लक्ष्मीताल एवं उसके समीप की नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में OA संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनाँक 12–07–2021 को आदेश पारित करते हुए प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन को नोडल एजेंसी नामित करते हुए अपेक्षा की गयी थी कि इस प्रकरण में जिलाधिकारी, झाँसी; नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी; उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा कार्यवाही उपरान्त आख्या तैयार करेंगे। जिलाधिकारी, झाँसी की समिति द्वारा तैयार की गयी आख्या को प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकरण में जिलाधिकारी, झाँसी की आख्या दिनाँक 22–10–2021 अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी है।

जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन के माध्यम से प्रस्तुत की गयी आख्या पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनाँक 25–01–2022 को सुनवाई की गयी। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन एवं जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनाँक 25–01–2022 में इन आख्याओं के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दु इंगित किये गये हैं। आवेदकगण द्वारा भी जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत आख्या के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए कहा गया कि जिलाधिकारी, झाँसी की आख्या त्रुटिपूर्ण है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है। आवेदक द्वारा यह भी कहा गया कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

उक्त आख्याओं पर सुनवाई के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनाँक 25–01–2022 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, झाँसी एवं अपर मुख्य सचिव, नगर विकास उ0प0

शासन द्वारा प्रस्तुत आख्याओं के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति गठित करते हुए निम्नवत् आदेश निर्गत किये गये हैं :—

"In the above backdrop of the facts, we find it appropriate to have an affirmation of factual report from a Committee comprising of different authorities and, therefore, we constitute a joint Committee comprising of MoEF&CC, CPCB, Department of Agriculture, UP, Department of Forest & Environment, UP and Divisional Commissioner, Jhansi, shall make spot inspection, examine relevant records and submit a factual report within two months, CPCB and Divisional Commissioner, Jhansi will be the nodal agency for coordination and compliance. First meeting of Committee shall be held within 15 days.

On the next day of hearing, Municipal Commissioner, Jhansi; Vice Chairman, Jhansi Development Authority; District Magistrate, Jhansi; Divisional Commissioner, Jhansi and Additional Chief Secretary, Urban Development, UP, shall also remain present in virtual mode.

A copy of this order be forwarded to the Municipal Commissioner, Jhansi; Vice Chairman, Jhansi Development Authority; District Magistrate, Jhansi; Divisional Commissioner, Jhansi and Additional Chief Secretary, Urban Development, UP by email.

List for further consideration on 04.04.2022."

उपरोक्त आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठक 15 दिवस में आहूत की जाय तथा समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण करते हुए आदेश पारित होने के दो माह के अन्दर लक्ष्मी तालाब एवं इसके निकट नगर पार्क की भूमि के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत की जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि मण्डलायुक्त, झाँसी मण्डल एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रकरण में नोडल एजेंसी होंगे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में मण्डलायुक्त सभागार, झाँसी में दिनांक 25—02—2022 को समिति की बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :—

1. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
2. डॉ0 डी0के0 सोनी, वैज्ञानिक—'ई', प्रतिनिधि—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ (वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग)।
3. डॉ. सत्या, वैज्ञानिक—'ई', प्रतिनिधि,—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ (वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग)।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, झाँसी मण्डल, झाँसी, प्रतिनिधि—कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी, प्रतिनिधि—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे :—

1. जिलाधिकारी, झाँसी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
3. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।

उक्त बैठक में समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनाँक 25—01—2022 के अनुपालन में पर्याप्त विचार—विमर्श किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु दिनाँक 14—03—2022 की तिथि नियत की गयी। इस तिथि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डॉ0 डी0के0 सोनी, वैज्ञानिक—'ई' मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण हेतु

व्यस्त हो जाने के कारण समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखों के निरीक्षण हेतु दिनाँक 29—03—2022 की तिथि नियत की गयी।

स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखों के परीक्षण हेतु नियत तिथि 29—03—2022 को मण्डलायुक्त सभागार, झाँसी में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित हुए :—

1. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
2. डॉ0 डी0के0 सोनी, वैज्ञानिक—'ई', प्रतिनिधि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
3. डॉ. सत्या, वैज्ञानिक—'ई', प्रतिनिधि,—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**,** एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, झाँसी मण्डल, झाँसी, प्रतिनिधि—कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी, प्रतिनिधि—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश।

इन सदस्यों के अतिरिक्त, जिलाधिकारी, झाँसी; नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी; उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण; सहायक महानिरीक्षक, स्टाम्प, झाँसी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी ने आवश्यक अभिलेखों व सूचनाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग किया गया।

बैठक की उपस्थिति का विवरण—**संलग्नक—1** अवलोकनीय है।

Photo 1 :Meeting of committee members with others at Sabhagaar, Jhansi division on 29.03.2022

निरीक्षण से पूर्व समिति के सदस्यों द्वारा सुसंगत अभिलेखों के निरीक्षण के साथ ही स्थलीय निरीक्षण हेतु बिन्दुओं के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त सभागार, झाँसी में बैठक के दौरान चर्चा की गयी तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनाँक 29—03—2022 को सम्बन्धित स्थलीय निरीक्षण किया गया।

प्रकरण में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अद्यतन समीक्षा हेतु पुनः दिनांक 31—08—2022 को समिति की बैठक आहूत की गयी तथा लक्ष्मीतालाब एवं तालाब के समीप नगर पार्क हेतु प्रस्तावित सरकारी व निजी काश्तकारों की भूमि के सम्बन्ध में अबतक की गयी कार्यवाही की

समीक्षा करते हुए इस सम्बन्ध में कतिपय अतिरिक्त बिन्दुओं पर अद्यतन सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी से अपेक्षा की गयी।

इस प्रकरण में समिति द्वारा सुसंगत अभिलेखों के परीक्षण एवं किये गये स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त तथ्यात्मक आख्या (अन्तरिम) तैयार करके प्रेषित की गयी थी। प्रकरण में अब निम्नवत् अन्तिम आख्या प्रस्तुत की जा रही है :–

A- समिति द्वारा लक्ष्मी तालाब के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आवेदकगण द्वारा जिलाधिकारी, झाँसी की आख्या के सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध अभिलेखों की जांच की गयी व दिनांक 29–03–2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

Photo 2: Discussion with theDistrict Magistrate &Comissioner

Photo 3: Visit of District magistrate & Comissioner, Jhansi

Photo 4 & 5: Visit of Hon'ble NGT Team & discussion with other officers

लक्ष्मी तालाब के सम्बन्ध में समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

(i) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 25–01–2022 में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन एवं जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कथित रूप से एकरूपता न होने के सम्बन्ध में इंगित किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा इस प्रकरण की प्रथम status Report दिनाँक 22–10–2021 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रस्तुत की गयी थी उस समय 26 MLD STP क्रियाशील नहीं था तथा द्वितीय status Report दिनाँक 16–12–2021 को उक्त STP क्रियाशील हो जाने के उपरान्त अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित की गयी जोकि अद्यतन है। जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत दोनों आख्याओं में दो माह का अन्तराल होने से मौके पर 26 MLD STP के क्रियाशील हो जाने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष जिलाधिकारी, झाँसी की पूर्व प्रेषित आख्या दिनाँक 22–10–2021 प्रस्तुत हुई है तथा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 की आख्या दिनांक 26–12–2021, जो जिलाधिकारी, झांसी की 16–12–2021 की status Report पर आधारित है, प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार दोनों आख्याओं में 02 माह का अन्तराल होने के कारण वस्तुस्थिति में परिवर्तन हो गया है। जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत दोनों आख्याओं एवं अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित आख्या में कोई विरोधाभास नहीं है।

(ii) नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी के अनुसार वर्तमान में झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लक्ष्मी तालाब का विकास एवं उसके सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। लक्ष्मी तालाब परियोजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्मी तालाब में गिरने वाले दूषित जल को रोकते हुये उसका विकास करना तथा आस–पास के क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण का कार्य करना है जिससे इस तालाब की ओर जन मानस आकर्षित हों एवं मानव जीवन हेतु वातावरण की गुणवत्ता में सुधार हो। लक्ष्मी तालाब परियोजना अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

- लक्ष्मी तालाब की परिधि के साथ गारलैण्ड चैनल का निर्माण किया जा रहा है। यह व्यवस्था स्टार्म वाटर के प्रभावी प्रबंधन हेतु की जा रही है। यह व्यवस्था एस0टी0पी0 की व्यवस्था के अतिरिक्त की जा रही है।
- लक्ष्मी तालाब की चाहरदीवारी का कार्य, पाथे–वे, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, बैठने हेतु बेंच आदि की व्यवस्था।
- प्रवेश द्वार, पार्किंग की व्यवस्था, बोटिंग डेक, खान–पान हेतु दुकानें, 4 स्थान जहाँ से लक्ष्मी तालाब की सुन्दरता को देखा जा सके।
- पार्क एवं भूदृश्य का निर्माण कार्य।
- लक्ष्मी तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन, जलीय पौधों का लगाया जाना तथा जलीय तंत्र का विकास।
- लभभग 20–25 व्यक्तियों की क्षमता वाली वॉटरबोट की व्यवस्था।
- लक्ष्मी तालाब एवं विकास किये गये क्षेत्र को घूमने हेतु ई–वाहन आदि की व्यवस्था।
- लेजर लाईट, साउण्ड शो आधुनिक प्रकाश लाइटों आदि का निर्माण कार्य।

समिति द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में लक्ष्मी तालाब में कोई भी अशोधित सीवेज प्रवाहित नहीं हो रहा है। माह अगस्त, 2021; सितम्बर 2021 एवं फरवरी 2022 में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी गुणवत्ता जांच आख्या **संलग्नक–2** के तुलनात्मक परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मी तालाब के जल की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, फिर भी यह पानी स्नान जल के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता (G.S.R. 742(E), 2000) के मानदंड वर्गीकरण के अनुसार नहाने योग्य नहीं है।

(iii) लक्ष्मी तालाब के जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए समिति द्वारा दिनांक 29.03.2022 को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उचित पैरामीटर के नमूने संग्रहीत कराये गये तथा इन्हें जांच हेतु प्रेषित किया गया था। लक्ष्मी ताल के जल की शुद्धता की नियमित मानीटरिंग क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, झांसी द्वारा की जा रही है। विगत 09 महीनों का मानीटरिंग डाटा निम्नवत् है :–

Water Quality of LaxmiTaal, Jhansi (Monitored under the NWMP project)

S. No	Month of Sample Collection	pH	Conductance (µmhoscm.$^{-1}$)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	TSS (mg/l)	Alkalinity (as $CaCO_3$)	Hardness (mg/l)	Calcium (mg/l)	Magnesium (mg/l)	DO (mg/l)	BOD (3days at 27° C) (mg/l)	COD (mg/l)	Chloride(mg/l)
1	05.05.2022	7.5	641	35	591	67	130	330	220	110	3.2	16.0	38	45
2	07.04.2022	7.6	635	30	590	57	135	320	210	110	3.0	14	32	35
3	10.03.2022	7.50	630	20	498	47	125	320	220	100	3.4	12	26	35
4	10.02.2022	7.50	629	15	495	42	120	300	210	90	5.0	8.0	26.6	30
5	21.01.2022	7.4	620	10	490	40	124	290	200	90	5.6	7.0	24.6	35
6	14.12.2021	7.60	629	15	490	42	110	300	190	110	5.0	8.0	24	35
7	11.11.2021	7.80	624	10	498	46	120	270	190	80	5.0	6.00	22	40
8	11.10.2021	8.40	624	10	494	44	122	190.9	130	60	5.80	6.80	18.60	45
9	23.09.2021	7.15	626	15	549	42	128	260	170	90	4.50	15	38	45

As per the water quality data produced by SPCB, under the NWMP project (table 2) as well as in the month of March-April 2022 **(संलग्नक–3)** during visit to the Laxmi taal which indicates that water is not fitfor bathing considering the *Primary Water Quality Classification GSR 742 (E) 2000.*Nutrient enrichment due to domestic use, cattle bathing and wallowing etc. as well as low volume of water observed during the visit. This must be the reason for poor water quality in the Taal.A systematic limnological study requires to be carried out for sustainability of the lake.

(iv) समिति के सदस्यों द्वारा लक्ष्मी ताल के भ्रमण के दौरान पाया गया कि स्मार्ट सिटी, झांसी लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना का कार्य प्रगति में था और इनके द्वारा लक्षमी ताल के चारों तरफ गार्लन्ड चैनल बनाए जा रहे हैं जिसके कारण आस पास के आबादी क्षेत्र का जल अथवा घरेलू उत्स्राव लक्ष्मी ताल में मिलने की संभावना नगण्य हो जायेगी। समिति के सदस्यों के द्वारा भौतिक निरीक्षण के दौरान तालाब में यह पाया गया कि किसी प्रकार का कोई आबादी क्षेत्र का जल–मल अथवा घरेलू उत्स्राव इस तालाब में मिलता हुआ नहीं देखा गया। किन्तु इस तालाब का पानी घरेलू उपयोग अथवा जानवरों को नहलाने में हो रहा है।

समिति की बैठक दिनांक 31–08–2022 में पुनः इस बिन्दु पर नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति से इस बिन्दु पर सत्यापन उपरान्त आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी कि वर्तमान में लक्ष्मी तालाब में कोई नाला प्रवाहित हो रहा अथवा नहीं। नगर आयुक्त द्वारा अपने पत्र संख्या संख्या–410/पी0ए0/न0आ0/न0नि0/ 2022–23 दिनांक 06–09–2022 के माध्यम से समिति की आख्या (संलग्नक–3ए) उपलब्ध करायी गयी है। इस समिति की आख्या के अनुसार लक्ष्मीतालाब में वर्तमान में कोई भी बाहरी ड्रेन/नाले का पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है।

Photo 6: Garland Channel around Laxmital is being constructed

(v) लक्ष्मी तालाब की भूमि की पैमाईश तथा अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि लक्ष्मी तालाब की कुल भूमि का रकवा वर्ष 1359 फसली के अनुसार 33.068 हेक्टेयर है तथा वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखों में 33.068 हेक्टेयर अंकित है। तालाब की भूमि की पैमाईश राजस्व विभाग के माध्यम से करायी गयी है। पैमाईश के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सदर झाँसी द्वारा अपनी सीमांकन आख्या जिलाधिकारी, झाँसी को प्रस्तुत की गयी है जिसकी प्रति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। समिति द्वारा संलग्न आख्या का मौके पर सत्यापन किया गया। लक्ष्मी तालाब की भूमि की पैमाईश DGPS/टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से भी करायी गयी है जिसके अनुसार भी लक्ष्मी तालाब का कुल रकवा 33.068 हेक्टेयर है एवं अतिक्रमित रकवा 0.258 हेक्टेयर है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, झांसी की रिपोर्ट **संलग्नक–4** अवलोकनीय है।

(VI) लक्ष्मी तालाब की भूमि में अतिक्रमित रकवे में 7 पुराने छोटे मंदिर रकवा 0.088 हे0 तथा 1 मजार रकवा 0.170 हे0 कुल रकवा 0.258 हे0 स्थित हैं। यह निर्माण अत्यन्त पुराने हैं तथा स्थानीय निवासियों की धार्मिक आस्था इन निर्माणों से जुड़ी हुई है। समिति के सदस्यों का इस बिन्दु पर यह विचार है कि इन निर्माणों को हटाने से कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिलाधिकारी, झांसी के माध्यम से प्राप्त उपजिलाधिकारी, झांसी की सीमांकन आख्या की प्रति संलग्न की जा रही है। **संलग्नक–4** अवलोकनीय है।

लक्ष्मी तालाब की भूमि के अतिक्रमण से सम्बन्धित निर्माणों के कुछ फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैंः–

Photo 7: Encroachment within the Laxmi tal

Photo 8: Encroachment (Dattatreya Temple) within the Laxmi tal

Photo 9: Encroachment (Majaar)within the Laxmi tal

Photo 10: Encroachment (Majaar) within the Laxmi tal

समिति द्वारा स्थल निरीक्षण व अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया है लक्ष्मी तालाब की भूमि का सीमांकन जिलाधिकारी, झाँसी की टीम द्वारा कराया गया है तथा अतिक्रमणों को चिन्हित् करते हुए दो पक्के निर्माण जो श्री मनीराम पुत्र बाबूलाल रायकवार व श्री जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल रायकवार के बने पाये गये थे जिन्हें हटवाकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। उक्त 6 पुराने मंदिर व एक पुरानी मजार को उपरोक्त स्थानों से हटाया जाना कानून व्यवस्था की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

Photo 11: removal of encroachment in Laxmital-1

Photo 12 : removal of encroachment in Laxmital-2

(VI) लक्ष्मी तालाब में गिरने वाले नालों को डाईवर्ट करके उनके जल को शुद्ध करने हेतु 26 MLD क्षमता का एक जल मल शोधन संयन्त्र (STP) वर्तमान में क्रियाशील है जिसका समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री हिमांशु नेगी, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई/STP उपस्थित रहे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 8-10 MLD सीवेज का शुद्धीकरण हो रहा है। उपस्थित परियोजना प्रबन्धक से वार्तालाप करने पर उन्होंने अवगत कराया गया कि STP से शोधित सीवेज की BOD, COD & TSS एवं pH मानक के अनुसार है, उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लेब टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है जिसे समिति द्वारा अवलोकित किया गया है। **संलग्नक–5** अवलोकनीय है। वार्तालाप के दौरान नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी ने बताया कि STP के द्वारा शोधित किए गए पानी की 4 MLD की मात्रा सीधे लक्ष्मी ताल में डाली जाएगी ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहे एवं पर्याप्त मात्रा में जलीय पारिस्थतिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखे। स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा सौंदर्यीकरण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है अतः वर्तमान में शोधित जल का भराव तालाब में नहीं किया जा रहा है।

Photo 13 : 26 MLD STP operated by Jal Nigam

Photo 14: SBR tankof the STP

Photo 15: SBR tank of STP

Photo 16: Water sample of inlet(untreated wastewater) taken during visit

(B) लक्ष्मी तालाब के निकट झांसी विकास प्राधिकरण की महायोजना–2021(दि0 04.01. 2005 से प्रभावी) में नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण :–

(i) समिति द्वारा झांसी महायोजना–2021 में लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया। नगर पार्क के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 170.48 हे0 है, इसमें 44.74 हे0 भूमि सरकारी भूमि है तथा 125.74 हे0 निजी काश्तकारों की है। सरकारी भूमि पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क विकसित है। निजी काश्तकारों की भूमि का अधिग्रहण धनाभाव के कारण प्राधिकरण द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है। इसलिए निजी काश्तकारों की भूमि पर नगर पार्क का वांछनीय विकास नहीं हो सका है। महायोजना–2021 जो कि दिनांक 04–01–2005 से प्रभावी है, जिसमें उक्त भूमि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित की गयी है। यह भूमि लक्ष्मीताल के निकट डड़ियापुरा, पिछोर एवं तालपुरा राजस्व ग्रामों में है।

उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क की निजी काश्तकारों की भूमि रकवा 125.74 हेक्टेयर में से 100.42 हेक्टेयर पर वर्ष 1970 से लेकर अबतक आबादी विकसित हो जाने के कारण इस स्थल पर नगर पार्क बनाया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। नगर पार्क हेतु प्रस्तावित कुल रकवा 170.48 हेक्टेयर में से 125.74 हेक्टेयर निजी काश्तकरों की है इनमें से रकवा 25.32 हेक्टेयर भूमि रिक्त है जो अलग–अलग टुकड़ों स्थित है जिस कारण इसको अर्जित करके नगर पार्क बनाया जाना व्यवहारिक नहीं है।

उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा भ्रमण के समय समिति को अवगत कराया गया कि निजी काश्तकारों की उक्त भूमि पर महायोजना 2021 में नगर पार्क प्रस्तावित किया

गया था। यह महायोजना दिनांक 04–01–2005 से प्रभावी है तथा 17 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। स्थानीय निवासीगण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–54 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत लगातार इस भूमि को अवमुक्त कराये जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में समिति को प्रार्थना पत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध करायीं गयीं जो **संलग्नक–6** अवलोकनीय है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–54 निम्नवत् पठनीय है :–

''**54.** *कतिपय मामलोंमें योजना को उपान्तरित किया जाएगा–(1) जहाँ विकास क्षेत्र में स्थित किसी भूमि की महायोजना या आंचलिक विकास द्वारा खुले क्षेत्र के रूप में या उस पर अनिर्मित रूप में रखे जाने की अपेक्षा की जाती है या किसी ऐसी योजना में अनिवार्य अर्जन के विषय के रूप में परिकल्पित की जाती है, वहाँ यदि धारा 12 के अधीन योजना के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष के पर्यवसान पर या जहाँ ऐसी भूमि ऐसी योजना के संशोधन द्वारा इस प्रकार अपेक्षित या अभिकल्पित है, वहाँ धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे संशोधन के प्रवर्तन में आने की तारीख से भूमि अनिवार्य रूप से अर्जित नहीं की जाती वहाँ भू–स्वामी राज्य सरकार पर इस प्रकार अर्जित की जाने वाली भूमि में अपने हित की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा।*

(2) यदि राज्य सरकार नोटिस की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर ऐसी भूमि अर्जित करने में असफल रहती है, तो महायोजना या, यथास्थिति आंचलिक विकास का उक्त छः मास के पर्यवसान के बाद यह प्रभाव होगा मानो भूमि खुले स्थान के रूपमें या उस पर निर्माण न होने के रूप में अर्जित नहीं की गयी थी या अनिवार्य अर्जन के विषय के रूप में अभिकल्पित नहीं थी।'' **संलग्नक–6** अवलोकनीय है।

समिति के स्थलीय निरीक्षण के समय भी स्थानीय निवासियों द्वारा धारा–54 के अन्तर्गत निजी भू–स्वामित्व की भूमि को अवमुक्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी कि लगभग 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा नगर पार्क विकसित किये जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण नही किया जा सका है। समिति द्वारा उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण से अपेक्षा की गयी कि इस सम्बन्ध में विधिक परीक्षण कर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 1970 से अबतक निजी काश्तकारों की इस भूमि पर आबादी बस जाने के कारण इस स्थान पर नगर पार्क विकसित किया जाना सम्भव नहीं है। प्राधिकरण के पास भूमि के अधिग्रहण हेतु धनराशि भी उपलब्ध नहीं है।

(ii) उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 का ड्राफ्ट तैयार है तथा इसमें 2325.69 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रीन एरिया का प्रस्ताव किया गया है। जबकि महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया 1280.62 हेक्टेयर है। प्राधिकरण द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान में ग्रीन एरिया का क्षेत्रफल पर्याप्त बढ़ाया गया है। इस प्रकार लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क की भूमि पर घनी आबादी का विकास हो जाने के कारण इस भूमि के सापेक्ष प्राधिकरण क्षेत्र में पर्याप्त भूमि ग्रीन एरिया के रूप में आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 में किया गया है। समिति द्वारा बैठक दिनांक 31–08–2022 में उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण से आख्या चाही गयी कि लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि रकवा 100.42 हे0 पर आबादी विकसित हो जाने

के आधार पर प्राधिकरण द्वारा इसे मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में आवासीय भू–उपयोग किए जाने का प्रस्ताव किया गया है इस स्थिति में इसके बदले में नगर पार्क हेतु अन्यत्र कोई भूमि प्रस्तावित की गयी है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या पत्र संख्या–1582/जे0डी0ए0/2022–23 दिनांक 09–09–2022 (संलग्नक–14) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नगर पार्क हेतु प्रस्तावित निजी काश्तकारों की भूमि 125.74 हे0 में से निजी काश्तकारों की 100.42 हे0 भूमि को मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में भू–उपयोग नगर पार्क के स्थान पर आवासीय किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नगर पार्क हेतु झांसी महायोजना–2021 में प्रस्तावित उक्त भूमि के बदले में झांसी महायोजना–2031 (ड्राफ्ट) में राजस्व ग्राम बिजौली में 210.00 हे. भूमि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित की गयी है तथा लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित निजी काश्तकारों की भूमि 175.75 हे0 में से 100.42 हे0 भूमि मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में वर्ष 1970 से अबत तक आबादी विकसित हो जाने के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इसे आवासीय किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

ग्रीन एरिया के प्रस्तावित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सम्भागीय नियोजन खण्ड, झांसी की आख्या **संलग्नक–7** अवलोकनीय है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण स्थानीय नागरिकों की मांग का सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षण कर लें तथा इस सम्बन्ध में विधि एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(iii) लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि पर वर्ष 1970 से अबतक निर्माण होना अवगत कराया गया है। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में भी पाया गया कि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित निजी भूमि पर आबादी विकसित हो गयी है। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा इन निर्माणों का सर्वे किया जा रहा है। सम्पूर्ण क्षेत्र में 1000 से अधिक भवन निर्माण हो सकते हैं।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर पार्क की निजी काश्तकारों की भूमि पर अनाधिकृत निर्माणों का सर्वे कराकर सूचीबद्ध किया जाए तथा इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही की जाए।

Photo 17 : Habitation with all amneties near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

Photo 18 : Habitation with all amneties near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

Photo 19: Habitation with all amneties near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021(wef-04.01.2005)

Photo 20 : Habitation with all amneties near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

Photo 21: Habitation with all amneties near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

Photo 22: Habitation with all amneties near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा 198.38 हेक्टेयर क्षेत्रफल महायोजना–2021 पुस्तक के ''वास्तविक विकास एवं महायोजना–2001 का मूल्यांकन शीर्षक'' से नोट किया गया है जो महायोजना–2001 के लिए पठनीय है। जबकि आवेदक द्वारा इसी क्षेत्रफल को महायोजना–2021 में प्रस्तावित नगर पार्क का क्षेत्रफल मान रहा है। उसने अपनी आपत्ति में नगर पार्क की भूमि का मास्टर प्लान 2021 में रकवा 198.38 हेक्टेयर होना कहा गया है। जिलाधिकारी, झांसी की आख्या में उक्त रकवा 170.48 हेक्टयर अंकित है। आवेदक द्वारा इस बिन्दु पर जिलाधिकारी, झांसी की आख्या को त्रुटिपूर्ण कहा गया है। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण के अनुसार नगर पार्क का रकवा 170.48 हेक्टयर है जो सही है, साक्ष्य स्वरूप GIS based सर्वे की रिपोर्ट **संलग्नक–8** अवलोकनीय है। समिति द्वारा उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण से अपेक्षा की गयी कि नगर पार्क के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में एक बार पुनः परीक्षण कर लें जिससे सही रकवा ज्ञात हो सके।

समिति द्वारा नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि का निरीक्षण किया गया जिसमें 44.24 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर विकसित नगर पार्क को स्थानीय स्तर पर नारायण बाग के नाम से जाना जाता है। इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। निजीकाश्तकारों की भूमि में कराये गये सर्वे के अनुसार 25.32 हेक्टेयर भूमि अभी रिक्त है जिसको संरक्षित किया जा रहा है।

Photo 23: Open unoccupied land (private) which was earmarked as a city park area as mer Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

Photo24: Open unoccupied land (private) which was earmarked as a city park area as mer Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

Photo 25: Open unoccupied land (private) which was earmarked as a city park area as mer Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

Photo 26: Open unoccupied land (private) which was earmarked as a city park area as mer Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इस भूमि पर होने वाले अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती है, जिसमें निर्माणकर्ता को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिये जाते हैं तथा स्थानीय पुलिस के माध्यम से अनाधिकृत निर्माण को रूकवाया जाता है, जिसके वाबजूद भी निजी भू–स्वामियों के द्वारा स्वामित्व के आधार पर निर्माण कर लिया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017 से 2021 के मध्य संज्ञान में आये 115 प्रकरणों में कार्य रोकने के आदेश किये गये हैं तथा समस्त प्रकरणों में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किये गये है। ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित प्रकरणों की सूची **संलग्नक–9** अवलोकनीय है। उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि ध्वस्तीकरण आदेशों के विरूद्ध 43 निर्माणकर्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 8051 ऑफ 2022 अर्जुन सिंह व 42 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोकने हेतु योजित की गयी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुनवाई की जा रही है तथा दिनांक 25–04–2022 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाई गयी है **संलग्नक–10** अवलोकनीय है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या 380/2018 Park Avenue Plot Holders Welfare Society &Anr.बनाम Union of India &Ors. एवं 999/2019 Dr. Ajay Kumar बनाम Union of India &Ors. में दिये गये निर्देश के क्रम में महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 2582/सी0का0लख0/2020/विविधि (आर0के0एस0) दिनांक 27–11–2020 तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–168/आठ–3–20–206 विविध/18 टी0सी0 दिनांक 19–02–2020 के सम्बन्ध में की

गयी कार्यवाही को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 906/जे0डी0ए0/2021–22 दिनांक 07–02–2021 के माध्यम से उपनिबन्धक कार्यालय, झांसी को उक्त शासनादेशों में उल्लिखित नगर पार्क/प्रखण्डीय पार्क/हरित पट्टी हेतु आरक्षित भूमि का विवरण भेजा गया है। इन निर्देशों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जो निम्नवत् हैः–

1. रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न होने देने तथा भूमि के विक्रय को हतोत्साहित करने के उददेश्य से इस आशय के बोर्ड रिक्त भूमि पर लगाये गये हैं कि भवन निर्माण करने हेतु इस आरक्षित भूमि को क्रय न किया जाय। मौके पर लगाये गये बोर्ड की फोटोग्राफ्स **संलग्नक–11** अवलोकनीय है।
2. उप निबन्धक, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से अपेक्षा की गयी है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बैनामों में गाटा संख्या, रकवा, मौजा एवं प्राधिकरण की महायोजना में अंकित भू–उपयोग अंकित किया जाये तथा शासनादेश व महानिरीक्षक, स्टाम्प के उक्त पत्र में उल्लिखित विवरण विक्रय विलेखों में दर्ज किया जाए। जिनको अंकित करने की कार्यवाही पंजीयन विभाग के स्तर से हो रही है। इस सम्बन्ध में सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, झांसी की आख्या दिनांक 29–03–2022 की प्रति **संलग्नक–12** अवलोकनीय है।
3. विकास प्राधिकरण कार्यालय से महायोजना 2021 में लक्ष्मी तालाब के निकट प्रस्तावित नगर पार्क की इस भूमि की मौजावार तथा गाटावार सूची पंजीयन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है तथा इन भू–उपयोगों को सजरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज करते हुये सम्बन्धित मानचित्रों को प्राधिकरण की बेबसाईट पर अपलोड किया गया है तथा उप निबन्धक कार्यालय, झाँसी को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गया है।

(iv) आवेदकगण द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाये गये है तथा अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत होना कहा गया है। समिति के स्थलीय निरीक्षण के दौरान आवेदकगण से सम्पर्क नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या–मीमो/जे0डी0ए0–2022 दिनांक 03–06–2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है जिसमें कहा गया है कि आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा को सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराने पर उसके द्वारा उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके पास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है तथा उसके द्वारा भ्रष्टाचार सम्बन्धी व्यक्तिगत आरोप सुनी–सुनाई बातों पर लगाए हैं। शपथपत्र की प्रति **संलग्नक–13** पर अवलोकनीय है।

(v) समिति द्वारा उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण OA No. 114/2021; Narendra Kushwaha v. State of Uttar Pradesh,में दाखिल किये गये 100 बैनामों की सूची प्राप्त कर प्रत्येक दशा में तीन माह में प्रत्येक बैनामे के सम्बन्ध में जांच कर अवगत कराये कि इन बैनामों के आधार पर निर्माण कार्य हुआ है अथवा नहीं। साथ ही यह भी अवगत कराया जाए कि महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या

2582 / सी0का0लख0 / 2020 / विविधि (आर0के0एस0) दिनांक 27–11–2020 तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–168 / आठ–3–20–206 विविध / 18 टी0सी0 दिनांक 19–02–2020 के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन इन बैनामों के सम्बन्ध में हुआ है अथवा नहीं। उक्त के सम्बन्ध में आख्या एक माह के अन्दर तैयार कर प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है।

(vi) समिति द्वारा बैठक दिनांक 31–08–2022 के माध्यम से इस सम्बन्ध में प्राधिकरण से अद्यतन स्थिति ज्ञात की गयी जिसके क्रम में उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या पत्र संख्या–1582 / जे0डी0ए0 / 2022–23 दिनांक 09–09–2022 **(संलग्नक–14)** के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ0ए0 संख्या–165 / 2021, गिरजा शंकर एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में दाखिल किए गए 100 बैनामों की सूची प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है। प्राधिकरण द्वारा 100 बैनामों की सूची प्राप्त की जा रही है, शीघ्र ही जांच कर प्रेषित कर दी जाएगी। आख्या में यह भी कहा गया है कि महानिरीक्षक, निबंधन उ0प्र0 के पत्र संख्या–2582 / शि.का.लख. / 2020 विविध (आर.के.एस.) दिनांक 27–11–2020 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 168 / आठ–3–20–206 विविध / 18 टी.सी. अनुभाग–3 दिनांक 19.02.2020 में दिए गए निर्देशों के क्रम में सहायक महानिरीक्षक, निबंधक, झांसी के पत्र संख्या–211(1) / एस.आर. विविध 2021–22 दिनांक 29–03–2022 के द्वारा अनुपालन किए जाने की पुष्टि की गयी है।

समिति द्वारा अभिलेखीय व स्थलीय निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि लक्ष्मी तालाब की भूमि पर दो अनाधिकृत निर्माण ध्वस्तीकरण योग्य पाये जाने पर उन्हें ध्वस्त करा दिया गया है। तालाब की भूमि पर सात पुराने छोटे मन्दिर तथ एक मजार 0.258 हे0 पर स्थित हैं। यह निर्माण अत्यन्त पुराने होने तथा स्थानीय निवासियों की धार्मिक आस्था इनसे जुड़ी होने के कारण इनके ध्वस्तीकरण से कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लक्ष्मी तालाब के जल को शुद्ध करने हेतु झाँसी स्मार्ट सिटी लि0 योजना के अन्तर्गत पर्याप्त कार्य कराये जा रहे हैं। साथ ही तालाब में गन्दे जल के प्रवाह को रोकने की कार्यवाही की गयी है जिसके अन्तर्गत तालाब का गारलैण्ड चेनल बनाया जा रहा है एवं उसमें गिरने वाले नालों को डाईवर्ट किया गया है। डाईवर्ट किए गए नालों के जल को शुद्ध करने हेतु 26 MLD क्षमता का एक जल मल शोधन संयन्त्र (STP) क्रियाशील है। लक्ष्मी तालाब के जल को शुद्ध रखे जाने हेतु व तालाब को संरक्षित किए जाने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा जन–जागरण कार्यक्रम कराये जा रहे हैं। लक्ष्मीतालाब के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित कुल भूमि रकवा 170.48 हे0 में से 44.74 हे0 भूमि सरकारी भूमि है तथा 125.74 हे0 निजी काश्तकारों की है। सरकारी भूमि पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क विकसित है तथा इस सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण नहीं है। निजी काश्तकारों की 125.74 हे0 भूमि का प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा धनाभाव के कारण अधिग्रहण नहीं किया जा सका है। समिति द्वारा जांच में पाया

गया है कि निजी काश्तकारों की भूमि रकवा 125.74 हेक्टेयर में से 100.42 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 1970 से अबतक महाराणा प्रताप नगर व अन्य नामों से घनी आबादी का विकास हो चुका है तथा नगर निगम, जल निगम, विद्युत विभाग इत्यादि संस्थाओं द्वारा स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं यथा–सड़क, नाली, विद्युत व्यवस्था, सफाई इत्यादि का विकास पूर्व में ही किया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर पार्क हेतु प्रस्तावित निजी काश्तकारों की भूमि में वर्ष 2017 से 2020 के मध्य 101 अनाधिकृत निर्माण संज्ञान में आने पर इन समस्त 101 अनाधिकृत निर्माणों में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए हैं इनमें 43 निर्माणकर्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 8051 ऑफ 2022 अर्जुन सिंह व 42 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. योजित की गयी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–04–2022 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगायी गयी है। स्थानीय निवासियों द्वारा वर्तमान में तैयार की जा रही महायोजना–2031 में निजी काश्तकारों की भूमि होने व अधिग्रहण न होने के आधार पर इस भूमि का भू–उपयोग आवासीय किए जाने हेतु आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जिन पर सक्षम स्तर पर विचारण किया जा रहा है।

प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना–2031 की तैयारी के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र में मानक के अनुरूप ग्रीन एरिया प्रस्तावित की गयी है। जिला स्तर पर जिला पर्यावरण योजना तैयार की गयी है।

समिति की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रतिनिधि
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उ0प्र0
(सदस्य)

संयुक्त कृषि निदेशक,
प्रतिनिधि
कृषि विभाग, उ0प्र0
(सदस्य)

(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक–'ई',
प्रतिनिधि,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
लखनऊ।

(डॉ0 डी0के0 सोनी)
वैज्ञानिक–'ई',
प्रतिनिधि
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
(सदस्य/नोडल एजेंसी)

(संजय गोयल)
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी
(सदस्य/नोडल एजेंसी)

Scanned with CamScanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 25–01–2022 के अनुपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 29–03–2022 में प्रतिभागीगण की उपस्थिति :–

क्र0	नाम/पद नाम	मो0 नम्बर	हस्ताक्षर
1	अभयश्री पाण्डेय - [illegible] Sinha		[signature]
2	रविन्द्र कुमार जिलाधिकारी		[signature]
3	अवनीश राय/ नगर आयुक्त झांसी		[signature] 29.03.22
4	Dr. D. K SONI Addl. Director CPCB LKO	9794996946	[signature]
5	DR. MRS. Salija, Addl. Director, MoEF+CC LKO	9453021374	[signature]
6	V. K. Mishra. DFO Jhansi	7839435143	[signature]
7	सुरेन्द्र सिंह चौहान JDA Jhs Agri. Deptt.	7599002643	[signature] 29.03.22
8	प्रताप सिंह AIG Stamp	9935132468	[signature]
9	सन्तोष कुमार	9450382928	[signature]
10	त्रिभुवन विश्वकर्मा सचिव SDA	9506034777	[signature] 29.3.22
11	निरंजन शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	7839891791	[signature]
12	राजेश कुमार नगर मजिस्ट्रेट	9454418936	[signature]
13	एस. के. अरविन्द [illegible]	7376260012	[signature]
14	कमल भान सिंह, पी.एम.सी. [illegible]	9639807830	[signature]
15			

CS Scanned with CamScanner

Analysis report of Laxmi pond (August, 2021, September, 2021 and February, 2022)

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of the River/Pond : Laxmi Pond, Jhansi
2. Sample collected by : Rishi Kushwaha (Lab Asstt.)
   : U.P. Pollution Control Board, Jhansi.
3. Date of Sample Collection : 13.08.2021
4. Sampling Point : Laxmi Pond, Near Om Shanti Nagar, Jhansi
5. Sample Method : Grab

S.N.	Parameter's	Value in mg/Ltr.	Standard Limit
1.	Colour	Muddy	Colourless
2.	Odour	No Specific Odour	Odourless
3.	pH	6.85	7.0
4.	Dissolved Oxygen	4.2	4.0 mg/Ltr
5.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0C}$)	15.00	3.0 mg/Ltr
6.	Chemical Oxygen Demand	19.32	250.0 mg/Ltr
7.	Total Dissolved Solid	548.00	1500.0 mg/Ltr
8.	Total Hardness (as $CaCO_3$)	223.10	300-600 mg/Ltr
9.	Calcium Hardness (as $CaCO_3$)	162.96	200.0 mg/Ltr
10.	Magnesium Hardness (as $CaCO_3$)	60.00	75.0 mg/ Ltr
11.	Chlorides	40.00	250-1000 mg/ Ltr

Analysed By:

(Arun Kumar Mishr)
Assitent Scientific Officer
U.P. Pollution Control Board, Jhansi

07/10/2021
(Niranjan Sharma)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board, Jhansi

Scanned by TapScanner

Regional Laboratory
Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of the River/Pond : Laxmi Pond, Jhansi
2. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (Asstt. Scientific Officer)
   : U.P. Pollution Control Board, Jhansi.
3. Date of Sample Collection : 20.09.2021
4. Sampling Point : Laxmi Pond, Near Om Shanti Nagar, Jhansi
5. Sample Method : Grab

S.N.	Parameter's	Value in mg/Ltr.	Standard Limit
1.	Colour	Muddy	Colourless
2.	Odour	No Specific Odour	Odourless
3.	pH	7.15	7.0
4.	Dissolved Oxygen	4.50	4.0 mg/Ltr
5.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0C}$)	15.00	3.0 mg/Ltr
6.	Chemical Oxygen Demand	38.00	250.0 mg/Ltr
7.	Total Dissolved Solid	549.00	1500.0 mg/Ltr
8.	Total Hardness (as $CaCO_3$)	260.00	300-600 mg/Ltr
9.	Calcium Hardness (as $CaCO_3$)	170.00	200.0 mg/Ltr
10.	Magnesium Hardness (as $CaCO_3$)	90.00	75.0 mg/ Ltr
11.	Chlorides	45.00	250-1000 mg/ Ltr

Analysed By:

(Arun Kumar Mishr)
Assitent Scientific Officer
U.P. Pollution Control Board, Jhansi

07/10/2021
(Niranjan Sharma)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board, Jhansi

Scanned by TapScanner

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name and Address : Laxmi Pond, Narayan Bagh Jhansi.
2. Sample collected by : Mr. Rishi Kushwaha (LA).
3. Date of Sample Collection : 10.02.2022
4. Sampling Point : Laxmi Pond.
5. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value	Standards Limit
1.	Colour	Muddish	Colourless
2.	Odour	Odourless	Odourless
3.	pH	7.5	7.0
4.	Dissolved Oxygen	5.0	4.0 mg/Ltr
5.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0}$c)	8.0	3.0 mg/Ltr
6.	Chemical Oxygen Demand	26.6	250.0 mg/Ltr
7.	Total Dissolved Solid	495.0	1500.0 mg/Ltr
8.	Total Hardness (as $CaCO_3$)	300.0	300-600 mg/Ltr
9.	Calcium Hardness (as $CaCO_3$)	210.0	200.0 mg/Ltr
10.	Magnesium Hardness (as $CaCO_3$)	90.0	75.0 mg/Ltr
11.	Chlorides	30.0	250-1000 mg/Ltr

Analyzed By:

28/03/22 28/03/22
LA *JRF*

28/03

Assistant Scientific Officer *Regional Officer*

Scanned by TapScanner

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-15850053/CENTRAL/2022 **Date:28/04/2022**

1- **Sample Location:** Laxmi Pond towards shanti nagar colony
2- **District:** Jhansi
3- **Address:** Near Narayan Bagh Jhansi
4- **Sample Source:** Pond
5- **Type of sample :** Surface Water
6- **Sample Collected By :** Krishna Rawat, JRF
7- **Odour :**
8- **Quantity and Packing :** 2l jerican & MPN bottle
9- **Date of Sample Collection :** 07/04/2022
10- **Analyis Indented by :** RO Jhansi
11- **Date of sample receipt in Lab :** 08/04/2022

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.87	02-12
Colour,2120 B Visual Method	Hazen	40	5-10000 Hazen
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	58.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 0C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	512.0	5.0 -10000 mg/l
Total Solids , 2540 B Total Solids dried at 103-105 0C	mg/l	570.0	5.0 -15000 mg/l
Chloride as Cl-, 4500- Cl - B Argentometric Method	mg/l	50.0	3.0 - 500 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	12.6	1.0 -1000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	56.8	4.0 -1000 mg/l

Remark:* - NA

Analysed by
[Ambrish Verma (SA)]

Authorized by

Preeti Bhaskar ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.04.28 16:45:46 +05'30'
CEO Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling,Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 0C micro mhos/cm Max.2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-16055304/CENTRAL/2022 Date:27/04/2022

1- **Sample Location:** Laxmi Pond
2- **District:** Jhansi
3- **Address:** Near Narayan Bagh Jhansi
4- **Sample Source:** Pond
5- **Type of sample :** Surface Water
6- **Sample Collected By :** Arun Kumar Mishra, ASO
7- **Odour :**
8- **Quantity and Packing :** 2 Ltr. Jarican ,1 DO bottle, 125ml for MPN
9- **Date of Sample Collection :** 12/04/2022
10- **Analyis Indented by :** RO Jhansi
11- **Date of sample receipt in Lab :** 27/04/2022

Parameter	Unit	Results	Detection Range
Ammoniacal Nitrogen, 4500 NH3-F Phenate Method	mg/l	0.28	0.1- 50 mg/l
D.O. , 4500-OB Iodometric Method	mg/l	3.48	0.2-14.0 mg/l
E.Coli- 9221F 2(E.coli Test: Indole Production) APHA 23rd Ed., 2017	MPN/100 ml	450	<1.8 MPN/100 ml & above
F.Streptococci - 9230 B (Multiple Tube Fermentation Technique) APHA 23rd Ed., 2017	MPN/100 ml	20	<1.8 MPN/100 ml & above

Remark:* - NA

Analysed by
[Iti Singh (JRF), Arti Gupta(SA)]

Authorized by

PREETI BHASKAR
Preeti Bhaskar ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.04.28 16:38:19 +05'30'
CEO Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling,Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 0C micro mhos/cm Max.2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/

हरित झाँसी। स्वच्छ झाँसी।

झाँसी नगर निगम, झाँसी

कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com Office Contact No:0510-2332097

संख्या 410 /पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2022–23 दिनांकः 06/09/,2022

प्रेषक

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में,

आयुक्त
झाँसी मण्डल, झाँसी।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त आख्या का प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 1988/26–विकास सहायक–5 (2021–22) दिनांक 01 सितम्बर 2022 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 31.08.2022 को आहूत बैठक में लक्ष्मीताल में वर्तमान में किसी भी नाले का पानी प्रवाहित हो रहा है अथवा नही। कुछ नालों का पानी तालाब में न जाकर नारायण बाग के बीच में से प्रवाहित हो रहा है, की स्थिति स्पष्ट करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

इस सम्बन्ध में नामित सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण की संयुक्त वांछित विस्तुत आख्या/कार्ययोजना तैयार कराते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

06/09/

(पुलकित गर्ग)
नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

CS Scanned with CamScanner

आयुक्त महोदय झाँसी मण्डल झाँसी के कार्यालय के पत्र संख्या 1988/26–विकास सहायक–5 (2021–22) दिनांक 01.09.2022 के द्वारा लक्ष्मीताल में प्रवाहित नालों का स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित समिति की आख्या

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण द्वारा ओ.ए. संख्या– 165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त आख्या प्रेशित किये जाने के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्नगत बिन्दु	आख्या
1	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 31.08.2022 को आहूत बैठ में इस बिन्दु पर चर्चा की गयी कि लक्ष्मीताल में वर्तमान में किसी भी नाले का पानी प्रवाहित हो रहा है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी की अध्यक्षता में गठित समिति से आख्या प्राप्त की जाए तथा झाँसी स्मार्ट सिटी द्वारा कराये जा रहे कार्यों के संबंध में भी आख्या प्राप्त की जाए।	वर्तमान में लक्ष्मीताल में किसी भी नाले का पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है। लक्ष्मीताल की पेरीफेरी में झाँसी स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा Earthen Bund तथा RCC Drain का निर्माण कराया जा रहा है। लक्ष्मीताल में किसी भी नाले का पानी प्रवाहित न होने की पुष्टि झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अपने पत्र संख्या JSCC/GM-CE/22-23/1000 दिनांक 05.09.2022 **(छायाप्रति संलग्नक–1)**, मुख्य अभियन्ता नगर निगम, झाँसी के पत्रांक 1012/जनकार्य0वि0/न0नि0/2022–23 दिनांक 06.09.2022 **(छायाप्रति संलग्नक–2)** एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम के पत्रांक 708/W–9/15 दिनांक 06.09.2022 **(छायाप्रति संलग्नक–3)** द्वारा भी की गयी है।

(सदस्य) अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), झाँसी	(सदस्य) क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी	(अध्यक्ष) नगर आयुक्त नगर निगम, झाँसी

CS Scanned with CamScanner

JHANSI SMART CITY LIMITED

Regd. Office - Jhansi Nagar Nigam, Jhansi 284001
CIN- U75230UP2016SGC087873
Email.id- jhansismartcityltd@gmail.com

Smart City
MISSION TRANSFORM-NATION

JSCL/GM-CE/22-23/1000

Date: 05th September, 2022

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that all drains which were falling into Laxmi Taal are tapped with the help of Earthen Bund and RCC Drain.

At present no drain water is falling / flowing into Laxmi Taal.

05/09/2022
(K.B. Singh)
Nodal Head
M/s STUP Consultants Pvt. Ltd.
PMC- Jhansi Smart City Limited
Head PMC
PMC-JSCL, Jhansi

05/09/22
(Arun Kumar)
GM/CE
Jhansi Smart City Limited,
Jhansi
GM/CE
Jhansi Smart City Limited

CS Scanned with CamScanner

पत्रांक – 1012 / जनकार्य वि0 / न0/नि0 – 2022–23 – दिनांक – 06/09/2022

नगर आयुक्त महोदय

कृपया अपने पत्र संख्या 399/पी0ए0/न0आ0/2022–23 दिनांक 05.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि स्मार्ट सिटी द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट जिसमे लक्ष्मी तालाब मे वर्तमान मे किसी बाहरी ड्रेन के न गिरने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध मे स्थल का निरीक्षण किया गया वर्तमान मे लक्ष्मी तालाब के चारो तरफ कच्ची ड्रेन बनाकर पानी को नारायण बाग पुलिया मे मिलाया गया है। वर्तमान मे लक्ष्मी तालाब के अन्दर कोई भी बाहरी नाला/ड्रेन का पानी नही जा रहा है।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

6/9/22
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम झांसी।

6-9-22
मुख्य अभियंता
नगर निगम झांसी।

CS Scanned with CamScanner

Demarcation of Laxmital Land : Report by District Magistrate, Jhansi

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास,
उ0प्र0 शासन,लखनऊ।

संख्या–[illegible] /7–स0भू0अ0 / पैमाइश / 2021–22 दिनांक दिसम्बर [illegible] ,2021

विषय– जनपद झाँसी में स्थित एतिहासिक "**लक्ष्मी तालाब**" की पैमाइश के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या– 165 / 2021 गिरजा शंकर बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन हेतु पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 16.12.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "**लक्ष्मी तालाब**" पूर्णतः आबादी से चारों तरफ घिरा हुआ है तथा लक्ष्मी तालाब के समस्त रकवों का सीमांकन टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से किया जा रहा है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

तत्कम में अवगत कराना है कि टोटल स्टेशन मशीन द्वारा किये गये सीमांकन की सर्वे रिपोर्ट "लक्ष्मी तालाब" की पैमाइश, सौंदर्यीकरण, पुनरूद्धार हेतु गठित समिति की संयुक्त आख्या दिनांक 21.12.2021 व उप जिलाधिकारी, झाँसी की आख्या / पत्रांक– 37 / एस0टी0 / 2021 दिनांक 21.12.2021 एवं टोटल स्टेशन मशीन द्वारा किये गये सीमांकन सर्वे का मानचित्र मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को तद्नुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

जिलाधिकारी,
झाँसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ,नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–165 /2021 गिरजा शंकर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन सम्बन्धित Status Report ।

झाँसी नगर के अन्तर्गत स्थित लक्ष्मी ताल एवं उसके समीपवर्ती नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0–165 /2021 गिरजा शंकर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन में निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी,महोदय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2021 के द्वारा निम्नवत् समिति गठित की गयी है :–

1. नगर आयुक्त,नगर निगम,झाँसी।
2. उपाध्यक्ष,झाँसी विकास प्राधिकरण,झाँसी।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),झाँसी।
4. अपर जिलाधिकारी,न्यायिक,झाँसी।
5. क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,झाँसी।

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति की पूर्व प्रेषित Status Report रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मी तालाब पूर्णतः आबादी से चारों तरफ घिरा हुआ है। अतः लक्ष्मी ताल के समस्त रकवों का सीमांकन टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से किया जा रहा है।

उप जिलाधिकारी,झाँसी के पत्रांक–37 / एस0टी0 / 2021 दिनांक 21.12.2021 के द्वारा प्रश्नगत टोटल स्टेशन मशीन की सर्वे रिपोर्ट प्रेषित की गयी है (आख्या की मूल प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है),जिसके अनुसार राजस्व अभिलेख वर्ष 1359 फ0 व बन्दोबस्ती अभिलेख तथा वर्तमान खतौनी वर्ष 1427–1432 फ0 मौजा डड़ियापुरा परगना व तहसील व जिला झाँसी की खतौनी के खाता संख्या 585 के कुल 60 किता रकवा 33.068 हे0 श्रेणी–6(1) अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि लक्ष्मी तालाब के नाम दर्ज अभिलेख कागजात है। ई0टी0एस0 एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार उपरोक्त तालाब के क्षेत्रफल पर कुल 16 किता विन्दुवार मौके पर पाई गई भौगौलिक स्थिति को व्यक्त किया गया है,जिसमें 07 मन्दिर, 01 किता मजार, 01 किता पार्क, 02 किता ग्रीन वैल्ट, 01 किता ओपिन एरिया, 02 किता बिल्डिंग तथा शेष वाटर रिजरवायर के रूप में उल्लेख किया गया है। ग्रीन वेल्ट व पार्क को,तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु नगर निगम,झाँसी द्वारा वनाया गया है। लक्ष्मी तालाब के गाटा संख्या–1246 / 0.243 हे0 में 02 पक्के मकान कंमशः मनीराम पुत्र बाबूलाल रायकवार व जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल रायकवार के बने पाये गये, जिन्हें नगर निगम,झाँसी की टीम द्वारा ध्वस्त कर लक्ष्मी तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त तालाब की भूमि पर 07 मन्दिर, 01 किता मजार

स्थित है,राजस्व अभिलेखों के आधार पर ई0टी0एस0 पैमाईश के दौरान तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	अवैध कब्जा के प्रकार	अवैध कब्जा का क्षेत्रफल
1	सड़क किनारे स्थित जगदम्बा मन्दिर,अठखम्भा मन्दिर सहित अन्य 06 छोटे मन्दिर	0.088 हे0
2	मजार	0.170 हे0
	कुल रकवा	0.258 हे0

उपरोक्त विद्यमान अवैध कब्जों में सड़क के किनारे लक्ष्मी तालाब की भूमि पर जगदम्बा मां का मन्दिर है,जो लगभग 400 वर्ष पुराना है, अठखम्बा मन्दिर लगभग 100 वर्ष पुराना है,इसके अतिरिक्त लक्ष्मी तालाब के किनारे छोटे शंकर जी,दुर्गा मां,घटौरिया व देवी जी के मन्दिर बने है। तालाब की भूमि पर सड़क के किनारे एक मजार भी बनी हुई है,जो लगभग 400 वर्ष पुराना बताया गया है। चूंकि उपरोक्त स्थलों में आम जनमानस की आस्था एवं श्रद्धा जुड़ी हुई है,ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थलों को हटाने पर कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है,जिसके दृष्टिगत बेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ई0टी0एस0 पैमाईश शजरे में अंकित मुस्तकिल मुकाम से की गई। पैमाईश में लक्ष्मी तालाब का कुल रकवा 33.068 हे0 यानि 81.67 एकड़ में से 0.258 हे0 पर अवैध कब्जा (उपर्युक्त सारिणी के अनुसार) पाया गया है,शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है।

उपरोक्तानुसार लक्ष्मी तालाब की भूमि की सीमांकन व स्थलीय आख्या (Status Report) मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
झाँसी। (सदस्य)

अपर जिलाधिकारी,न्यायिक,
झाँसी। (सदस्य)

अपर जिलाधिकारी(वि0एवंरा0)
झाँसी। (सदस्य)

उपाध्यक्ष,
झाँसी विकास प्राधिकरण,झाँसी।
(सदस्य)

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम,झाँसी।
अध्यक्ष,निरीक्षण समिति,

40

कार्यालय उप जिलाधिकारी,झाँसी

संख्या– 37 / एस0टी0 / 2021 दिनांक दिसम्बर 21, 2021

विषय– कार्यालय जिलाधिकारी,महोदय झाँसी के पत्र संख्या–130 / ओ0एस0डी0 दिनांक 22 नवम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों के कम में लक्ष्मी तालाब की पैमाईश आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,
झाँसी।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय पत्र संख्या–130 / ओ0एस0डी0 दिनांक 22 नवम्बर,2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डड़ियापुरा स्थित लक्ष्मी तालाब की पैमाईश राजस्व टीम के द्वारा कराने के निर्देश दिये गये थे।

तत्कम में पैमाईश हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा लक्ष्मी तालाब की पैमाईश कराई गई। पैमाईश उपरान्त कार्यालय उप जिलाधिकारी,झाँसी के पत्र संख्या–2372 / एस0 टी0–2021 दिनांक 25 नवम्बर,2021 के द्वारा इस आशय की आख्या प्रेषित की गयी थी कि अभिलेखानुसार लक्ष्मी तालाब के नाम दर्ज कुल क्षेत्रफल 33.068 हे0, जिसमें 1.489 हे0 क्षेत्रफल अतिक्रमित प्रतीत होता है,विषयक आख्या प्रेषित की गई थी। इसके साथ ही तालाब में जल भराव के कारण पैमाईश में आई कठिनाई के दृष्टिगत भूमि की ई0टी0एस0 पैमाईश कराने के निर्देश प्राप्त हुये थे।

उल्लेख है कि राजस्व अभिलेख वर्ष 1359 फ0 व बन्दोबस्ती अभिलेख तथा वर्तमान खतौनी वर्ष 1427–1432 फ0 मौजा डड़ियापुरा परगना व तहसील व जिला झाँसी की खतौनी के खाता संख्या 585 के कुल 60 किता रकवा 33.068 हे0 श्रेणी–6(1) अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि लक्ष्मी तालाब के नाम दर्ज अभिलेख कागजात है,प्रश्नगत भूमि की ई0टी0एस0 पैमाईश हेतु कार्यालय पत्र संख्या–2353 / रा0लि0–विविध / 2021 दिनांक दिसम्बर 14, 2021 के द्वारा नायव तहसीलदार,झाँसी की अध्यक्षता में शजरे में अंकित बिन्दुओं को स्थलीय रूप से इंगित करते हुये ई0टी0एस0 पैमाईश में सहयोग हेतु राजस्व टीम गठित की गई। ई0टी0एस0 एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार उपरोक्त तालाब के क्षेत्रफल पर कुल 16 किता विन्दुवार मौके पर पाई गई भौगोलिक स्थिति को व्यक्त किया गया है,जिसमें 07 मन्दिर, 01 किता मजार, 01 किता पार्क, 02 किता ग्रीन वैल्ट, 01 किता औपिन एरिया, 02 किता बिल्डिंग तथा शेष वाटर रिजरवायर के रूप में उल्लेख किया गया है। ग्रीन वेल्ट व पार्क को,तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु नगर निगम,झाँसी द्वारा बनाया गया है। लक्ष्मी तालाब के गाटा संख्या–1246 / 0.243 हे0 में 02 पक्के मकान कमशः मनीराम पुत्र बाबूलाल रायकवार व जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल रायकवार के बने पाये गये, जिन्हें नगर निगम,झाँसी की टीम द्वारा ध्वस्त कर लक्ष्मी तालाब की भूमि को अतिकमण मुक्त करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त तालाब की भूमि पर 07

५१

मौ०५१, 01 किता मजार स्थित है,राजस्व अभिलेखों के आधार पर ई0टी0एस0 पैमाईश के दौरान तालाब की भूमि पर अवैध अतिकमण निम्नवत है :–

क0सं0	अवैध कब्जा के प्रकार	अवैध कब्जा का क्षेत्रफल
1	सड़क किनारे स्थित जगदम्बा मन्दिर,अठखम्भा मन्दिर सहित अन्य 06 छोटे मन्दिर	0.088 हे0
2	मजार	0.170 हे0
	कुल रकवा	0.258 हे0

उपरोक्त विद्यमान अवैध कब्जों के कम में अवगत कराना है कि सड़क के किनारे लक्ष्मी तालाब की भूमि पर जगदम्बा मां का मन्दिर है,जो लगभग 400 वर्ष पुराना है, अठखम्बा मन्दिर लगभग 100 वर्ष पुराना है,इसके अतिरिक्त लक्ष्मी तालाब के किनारे छोटे शंकर जी,दुर्गा मां,घटौरिया व देवी जी के मन्दिर बने है। तालाब की भूमि पर सड़क के किनारे एक मजार भी बनी हुई है,जो लगभग 400 वर्ष पुराना बताया गया है। चूंकि उपरोक्त स्थलों में आम जनमानस की आस्था एवं श्रद्धा जुड़ी हुई है,ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थलों को हटाने पर कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है,जिसके दृष्टिगत बेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त ई0टी0एस0 पैमाईश शजरे में अंकित मुस्तकिल मुकाम से की गई। पैमाईश में लक्ष्मी तालाब का कुल रकवा 33.068 हे0 यानि 81.67 एकड़ में से 0.258 हे0 पर अवैध कब्जा (उपर्युक्त सारिणी के अनुसार) पाया गया है,शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है।

अतः मौके पर कराई गई राजस्व अभिलेखों के आधार पर ई0टी0एस0 पैमाईश एवं राजस्व विभाग की आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी
झाँसी।

ν०

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी महोदय झांसी के पत्र संख्या 130/ओ0एस0डी0 दिनॉक 22 नवम्बर 2021 के द्वारा मौजा डडियापुरा स्थित लक्ष्मी तालाब की पैमाईश राजस्व टीम के द्वारा कराने के निर्देश दिये गये थे। तत्कम में वर्णित पैमाईश हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा लक्ष्मी तालाब की पैमाईश कराई गई। पैमाईश उपरान्त कार्यालय उप जिलाधिकारी महोदय झॉसी के पत्र संख्या 2372/एस0टी0–2021 दिनॉक 25, 2021 के द्वारा इस आशय की आख्या प्रेषित की गई थी कि अभिलेखानुसार लक्ष्मीतालाब के नाम दर्ज कुल क्षेत्रफल 33.068 हे0 , जिसमें 1.489 हे0 क्षेत्रफल अतिक्रमित प्रतीत होता है, विषयक आख्या प्रेषित की गई थी।

वर्ष 1359 फ0 व बन्दोबस्ती अभिलेख तथा वर्तमान खतौनी वर्ष 1427–1432 फ0 मौजा डडियापुरा परगना व तहसील व जिला झॉसी की खतौनी के खाता संख्या 585 के कुल 60 किता रकवा 33.068 हे0 श्रेणी 6–1 अकृषिक भूमि–जल मग्न भूमि लक्ष्मी तालाब के नाम दर्ज अभिलेख है, जिसकी पैमाईश हेतु राजस्व एवं नगर निगम झॉसी टीम से कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अनुपालन में राजस्व एवं नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर पैमाईश की गई थी किन्तु तालाब में जराब भराव के कारण पैमाईश में आई कठिनाई के दृष्टिगत उक्त भूमि की ई0टी0एस0 पैमाईश कराने के प्राप्त निर्देश के कम में प्रश्नगत भूमि की ई0टी0एस0 पैमाईश हेतु कार्यालय पत्र संख्या 2353/रा0लि0–विविध/2021 दिनॉक दिसम्बर 14, 2021 के द्वारा नायब तहसीलदार झॉसी की अध्यक्षता में शजरे में अंकित बिन्दुओं को स्थलीय रूप से इंगित ई0टी0एस0 पैमाईश में सहयोग हेतु राजस्व टीम गठित की गई। गठित राजस्व टीम व ई0टी0एस0 टीम के सहयोग से पैमाईश की गई। पैमाईश में उक्त लक्ष्मी तालाब के गाटा संख्या 1246/0.243 हे0 में 02 पक्के मकान मनीराम पुत्र बाबूलाल रायकवार व जितेन्द्र रायकवार पुत्र बाबूलाल रायकवार के पाये गये, जिन्हें नगर निगम की टीम द्वारा ध्वस्त कर लक्ष्मी तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। ग्रीन वैल्ट में पार्क को तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु नगर निगम द्वारा बनाया गया है। उक्त आराजी में दो सार्वजनिक मंदिर (लगभग 650 वर्गफुट) निर्मित है । इसके अतिरिक्त उक्त भूमि संख्या 1657 के जुज भाग रकवा 0.004 हे0 में तालाब के मध्य में एक छोटा सा मन्दिर है। राजस्व अभिलेखों के आधार पर ई0टी0एस0 पैमाईश के दौरान वर्णित भूमि में अवैध कब्जे की स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी–

क्र0 सं0	अवैध कब्जा के प्रकार	अवैध कब्जा का क्षेत्रफल
1	अठखम्भा मन्दिर एवं 06 अन्य छोटे मन्दिर	0.088 हे0
2	मजार	0.1700 हे0
	कुल रकवा	0.258 हे0

उक्त अवैध कब्जों के कम में अवगत कराना है कि मौके पर एक अठखम्भा मन्दिर (नागेश्वर नाथ महादेव मन्दिर) है, जिसके सम्बन्ध में श्रृद्धालुओं एवं नगरवासियों द्वारा बताया गया है कि यह मन्दिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इसके अलावा मजार से उत्तर दिशा में मॉ

85

जगदम्बा मन्दिर है तथा लक्ष्मी तालाब के किनारे अन्य छोटे शंकर जी , दुर्गा मां, घटौरिया व देवीजी का मन्दिर है। उपरोक्त मन्दिरों में लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। तालाब के किनारे स्थित मजार को स्थानीय लोगों द्वारा लगभग 400 वर्ष पुराना बताया गया है। चूंकि उपरोक्त स्थलों में आम जनमानस की आस्था एवं श्रृद्धा जुड़ी हुई है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थलों को हटाने पर कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है जिसके दृष्टिगत बेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उक्त ई0टी0एस0 पैमाईश शजरे में अंकित मुस्तकिल मुकाम से की गई। पैमाईश में लक्ष्मी तालाब का कुल रकवा 33.068 हे0 यानि 81.67 एकड़ में से 0.258 हे0 पर अवैध कब्जा (उपर्युक्त सारणी के अनुसार) पाया गया है, शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है।

अतः उपरोक्त आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

श्री हरिश्चन्द्र लेखपाल

मनोज अग्रवाल लेखपाल

नरेन्द्र पाल सिंह लेखपाल

राजस्व निरीक्षक झाँसी।

नायब तहसीलदार झाँसी।

तहसीलदार झाँसी।

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत
HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY
NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA
(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)
Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http //www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS 1921 - 2021

Ref. No.:134 /FT/2022 Date : 18/05/2022

1. Name of party with address: M/s Geo Miller & Co. Pvt. Ltd., GM House, F-3/2 Okhla Indl Area Phase-I,New Delhi- 110020 For site 26 MLD STP Laxmital Narayan Bagh Road Jhansi
2. Party's letter no. with date : YS/22-23/107, 20/04/2022.,
3. Name of sample : 01 sample of STP Outlet Water
4. Type of packing : In sealed Polyethylene Container
5. Amount Deposited : Rs.16,740.00(UTRNo.:PUNBH22118197356 dt: 28/04/2022)

Analysis Report

S. No.	Characteristics	Values Obtained
1.	TSS(mg/Ltr)	25
2.	COD (mg/Ltr)	56
3.	BOD (mg/Ltr)	6
4.	Ammonia (mg/Ltr)	2.3
5.	Phosphate(mg/Ltr)	1
6.	Kjeldahl Nitrogen(mg/Ltr)	1
7.	Faecal Coliform Count (MPN)	180

Remark: 1.The Sample was analyzed as per the prescribed standard methods.
2. The sample has been consumed during the course of analysis.
3. This report is valid for technical analysis but is not liable for legal proceedings.

(Akshay Kr. Singh)
R.A. Analyst
AKSHAY KUMAR SINGH
Research Assistant
Deptt. of Food Technology
School of Chemical Technology
H.B. Technical University, Kanpur-02

(Prof. Alak Kumar Singh)
Prof. Alak Kumar Singh
Head & Investigator
Deptt of Food Technology
School of Chemical Technology
H B Technical University, Kanpur-02

STP Lab test Report

STP Lab test Report

राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में स्वीकृत लक्ष्मीताल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद झाँसी में लक्ष्मीताल स्थित 26 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का संक्षिप्त विवरण

नेशनल लेक कन्जरवेशन प्लान (NLCP) के अन्तर्गत लक्ष्मीताल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजना के अन्तर्गत लक्ष्मीताल स्थित 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण किया गया है। उक्त एस0टी0पी0 एस0बी0आर0 तकनीकी आधार पर डिजाइन है। इस योजना के अन्तर्गत 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, 22 एम0एल0डी0 एस0पी0एस0–1, 4 एम0एल0डी0 एस0पी0एस0–2, 0.4 एम0एल0डी0 एस0पी0एस0–3 एवं 4 एम0एल0डी0 टरसरी ट्रीटमेन्ट का प्राविधान किया गया है। **एस0पी0एस0–1** पर झाँसी नगर के अन्तर्गत कुबेरू नाला, कसाई मण्डी नाला एवं लक्ष्मीताल नाला को टेप कर, **एस0पी0एस0–2** पर झाँसी नगर के अन्तर्गत जोशियाना नाला, बंगलाघाट नाला एवं डिमरयाना नाला टेप कर तथा **एस0पी0एस0–3** पर ओम शांति नगर नाले को टेप कर सीवेज को उक्त तीनों पम्पिंग स्टेशनों के माध्यम से शोधन हेतु 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 को प्रेषित किया जाता है। 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर प्राप्त सीवेज को शोधन एवं क्लोरिनेशन उपरान्त नारायण बाग नाले में प्रेषित कर दिया जाता है। वर्तमान में एस0टी0पी0 पर औसतन 8 से 10 एम0एल0डी0 सीवेज प्राप्त हो रहा है, जिसका शोधन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत 4 एम0एल0डी0 टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्रियाशील है, जिसके माध्यम से एस0टी0पी0 से शोधित सीवेज को पुनः शोधन कर लक्ष्मीताल झील में प्रेषित किया जाना है। वर्तमान में लक्ष्मीताल झील में सौन्दर्यीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। जिसके कारण 4 एम0एल0डी0 टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का संचालन बाधित है।

26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर प्राप्त होने वाले सीवेज एवं शोधित सीवेज के पैरामीटर का विवरण निम्नानुसार है :–

Inlet and Outlet parameters for 26 MLD STP Laxmital Jhansi

Sl. No.	Parameters	Unit	As per Contract Bond quality standards		Current Achivement of Treated Effluent at STP
			Influent sewage/ Inlet	Treated Sweage/ Outlet	
1	pH	--	6.5-8.5	6.5-8.5	7.6
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	180-200	10 or less	10.1
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	Mg/lit	400-500	100 or less	50.5
4	Total Suspended Solids (TSS)	Mg/lit	250-300	30 or less	28

Outlet parameters for 4 MLD Tursury treatment plant at 26 MLD STP Laxmital Jhansi

Sl. No.	Parameters	Unit	Treated Sweage/ Outlet	Achievement of quality standards
1	pH	--	6.5-8.5	Operation of TT Plant withhold due to beautification work of Laxmital lake done by nagar nigam.
2	Dissolved Oxygen		≥ 5	
3	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	≤ 3	

29.3.2022 29.03.2022

अधिशासी अभियन्ता / परियोजना प्रबन्धक
झाँसी खण्ड प्रथम / निर्माण इकाई
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) झाँसी

STP Lab test Report

SEWAGE ANALYSIS REPORT

GEO MILLER & CO. PVT. LTD., JHANSI

PERIOD: 01.03.2022 TO 31.03.2022 | 26 MLD SEWAGE TREATMENT PLANT, U.P. JAL NIGAM, JHANSI, U.P.

SL. NO.	DATE	INLET				OUTLET			
		pH	TSS (Mg/L)	COD (Mg/L)	BOD (Mg/L)	pH	TSS (Mg/L)	COD (Mg/L)	BOD (Mg/L)
1	01-03-2022	7.5	154	427.9	148	7.6	26	50.3	10.5
2	02-03-2022	7.5	160	409.9	166	7.7	29	46.7	10.2
3	03-03-2022	7.6	166	417.4	162	7.6	25	53.5	9.9
4	04-03-2022	7.5	153	423.1	150	7.7	28	49.7	9.0
5	05-03-2022	7.5	167	405.3	138	7.6	26	46.2	9.6
6	06-03-2022	7.5	160	418.1	142	7.5	27	49.6	9.3
7	07-03-2022	7.6	187	430.9	152	7.7	29	45.9	9.9
8	08-03-2022	7.5	166	408.3	146	7.7	26	49.2	9.0
9	09-03-2022	7.5	150	413.9	140	7.6	26	52.6	9.9
10	10-03-2022	7.6	158	397.1	158	7.6	28	45.2	9.6
11	11-03-2022	7.5	151	371.5	136	7.5	25	52.0	9.0
12	12-03-2022	7.5	144	408.2	146	7.6	25	58.8	9.9
13	13-03-2022	7.6	159	419.2	152	7.6	28	48.1	9.3
14	14-03-2022	7.6	168	428.0	160	7.7	26	68.6	9.6
15	15-03-2022	7.6	141	395.8	150	7.6	29	44.3	9
16	16-03-2022	7.5	151	409.5	140	7.6	25	47.7	9.6
17	17-03-2022	7.6	137	429.0	138	7.6	28	59.6	9.3
18	18-03-2022	7.5	144	416.3	148	7.6	24	52	9.6
19	19-03-2022	7.5	149	402.7	160	7.6	25	48.6	10.5
20	20-03-2022	7.5	140	377.1	148	7.6	27	51.9	9.9
21	21-03-2022	7.5	152	391.1	138	7.5	26	48.1	9.6
22	22-03-2022	7.5	141	309.3	164	7.6	29	60.4	10.5
23	23-03-2022	7.5	136	329.5	132	7.6	27	56.7	10
24	24-03-2022	7.6	126	312.1	156	7.7	40	59.4	11.2
25	25-03-2022	7.5	120	298.7	144	7.5	28	51.6	10.1
26	26-03-2022	7.5	144	408.2		7.6	25	58.8	
27	27-03-2022	7.6	157	396.8		7.7	30	46.9	
28	28-03-2022	7.6	149	382.4		7.6	28	50.5	
29	29-03-2022								
30	30-03-2022								
31	31-03-2022								

Checked by

A.P.F.
29/03/22
Ravi Kumar Shukla
A.P.F
Construction Unit
UP JAL NIGAM Jhansi

(रामजीतराम)
JE

Tested by
29/3/22
Naren chandra
Lab Chemist
GEO MILLER & CO. PVT. LTD.

Scanned by TapScanner

संलग्नक–6.1

Representation given to Honerable NGT committee by habitants of Land proposed for city Park to change the Land use

सेवा में

उपाध्यक्ष

झांसी विकास प्राधिकरण झांसी उत्तर प्रदेश

विषय: महायोजना (मास्टर प्लान) 2021 अंतर्गत अंकित भू-उपयोग नगर पार्क को शासनादेश संख्या 3452/9-आ-3-2004-55वि./2002 के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में व प्रश्नगत भूमि पर किए गए भवन निर्माण पर प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को वापस लेने की प्रार्थना।

महोदय,

प्रार्थीगण सविनय करबद्ध उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नवत् बिंदुओं के माध्यम से निवेदन करते हैं कि

1. प्रश्नगत भूमि भूमिधर जमीन जो खतौनी में आज भी श्रेणी 1क में दर्ज है जिसमें खातेदारों ने अपनी भूमि छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में प्रार्थीगणों (क्रेताओं) को विक्रय किया है। और जब भूमि पहले ग्राम सभा पिछोर में थी तब भी कुछ मकानों का निर्माण हो चुका था, इसके पश्चात यह भूमि नगर निगम में आई और 1984 झांसी विकास प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद लगभग 2018 तक यहां सघन आबादी विकसित हो चुकी थी। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त आधार को संज्ञान में लेकर प्रार्थी गण जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग से हैं जिन्होंने जीवन भर की संचित पूंजी गृह निर्माण में लगाकर अपने परिवार को छत दे पाई है को पूर्व में पारित निर्माण विध्वंस आदेश वापस अथवा रिकॉल करने की कृपा करें।

2. विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रश्नगत भूमि में किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण किए बिना भू उपयोग नगर पार्क में अंकित करना बताया गया है जो आपके द्वारा प्रेषित निर्णयों और अन्य प्रपत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार से कभी 1979-2001 महायोजना का भाग बताया गया कभी 2005 से प्रभावी होना बताया गया तो कभी 2015 से जो कि अस्पष्ट सूचना प्रदान करता है। यदि प्रश्न गत भूमि इतने लंबे समय से नगर पार्क में अंकित है तो भूमि अधिग्रहण ना करना सर्वथा उचित नहीं है। कृपया सामाजिक कल्याण एवं उत्थान के लिए उपयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन कर प्रार्थीगणों को कंपाउंडिंग का अवसर प्रदान करें ताकि प्रार्थीगण अपने परिवार को सर पर छत दें पायें और परिवार का भरण पोषण सुनिश्चित सकें।

3. प्रार्थी गणों की भूमि व्यक्तिगत संपति है जिससे यह स्पष्ट है कि हम अवैध अतिक्रमण कारी नहीं है, अब जबकि एक ओर भूमि को अधिग्रहित नहीं किया गया और दूसरी ओर भू संपत्ति स्वामियों को अवैध अतिक्रमण कारी कहा जाना सर्वथा उचित नहीं है। कृपया पूर्व में दिए निर्माण विध्वंस के आदेश को वापस ले अन्य वैकल्पिक अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

4. प्रश्न गत भूमि में अनेकानेक शासन एवं सरकार द्वारा विकास कार्य भी करवाए जा चुके हैं जैसे कि सड़क निर्माण विद्युत संयोजन लाइन वह खम्भे लगाने का कार्य एवं जल आपूर्ति हेतु महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत घर घर नल लगाए गए जिन सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी हैं। इस प्रकार निर्माण विध्वंस आदेश से सरकार द्वारा आम जनमानस पर खर्च किए लाखों करोड़ों रुपए अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः बर्बाद हो जाएंगे। कृपया उपरोक्त

को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण विध्वंस आदेश वापस लेकर भू उपयोग आवासीय आबादी में दर्ज करने की कृपा करें।

5. प्रश्न गत भूमि पर प्रत्येक भूमि-खंड के लिए भू-स्वामी प्रार्थी गणों के पास वैध बैनामा रजिस्ट्री व अन्य उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध हैं। कृपया प्रार्थी गणों की दीन दशा और अप्रत्याशित वेदना, कष्ट और मर्म का ध्यान रखते हुए भू-उपयोग परिवर्तित कर आवासीय दर्ज करने की कृपा करें।

6. प्रश्न गत भूमि पर सघन आबादी विकसित हो चुकी है, जिसमें कुछ मकान तो वर्ष 1970 के बने हुए हैं। कई निर्माण 20 से 25 वर्ष पुराने और अधिकतर घर 10 से 15 वर्ष पूर्व में बनाए जा चुके हैं। महोदय कुछ भवन निर्माण तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हुए हैं। सभी प्रार्थी गण विद्युत भुगतान वह गृह कर भुगतान भी समयानुसार कर रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि नगर निगम व राजस्व विभाग की अनापत्ति उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण विध्वंस का आदेश मानवीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित नहीं है, जो सरकार के आम जनमानस को सर पर छत प्रदान करने के प्रधानमंत्री आवास वृहद परियोजना की मूल भावना के खिलाफ भी है, कृपया लोक हित में जो प्राधिकरण का भी मूल उद्देश्य है को दृष्टिगत रखने की कृपा करें।

7. प्रश्न गत भूमि पर हुए निर्माण पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिसके अंतर्गत विकास प्राधिकरण सघन आबादी विकसित क्षेत्र को धारा 27(1) के आधार पर सीधे निर्माण गिरा देने का आदेश दे चुकी है जो सर्वथा उचित नहीं है जबकि उपरोक्त शासी कानून नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों में बिना कार्यवाही किए मास्टर प्लान को परिवर्तित किया जा सकता है। कृपया आगामी मास्टर प्लान में वर्तमान मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत नगर पार्क को आवासीय परिवर्तित करने की महान दया करें।

8. प्रश्न गत भूमि मास्टर प्लान 2021 अंतर्गत भू-उपयोग नगर पार्क अंकित है। जबकि अब सघन आबादी विकसित हो चुकी है। सघन आबादी विकसित होने के उपरांत शासनादेश संख्या 3452/9-आ-3-2004-55-वि./2002, दिनांक 30 अक्टूबर 2004 के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण से और सामाजिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तित करना सर्वथा उचित है। पर्यावरण को भी दृष्टिगत रखते हुए व्यापक रूप से यदि अवलोकन किया जाए तो आप पाएंगे की प्रश्न गत भूमि से बहुत समीप लगभग 100-150 मीटर सीधी दूरी पर राजकीय बाग नारायण बाग जो कि 44 हेक्टेयर में फैला है, स्थानीय प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, जबकि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्न गत भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में पर्याप्त फंड उपलब्ध न होने के कारण पूर्व में अधिग्रहण ना करने की असमर्थता जताई जा चुका है।

कृपया उपरोक्त शासनादेश को लागू कर जनहित में निर्माण विध्वंस आदेश को स्वतः प्राधिकरण द्वारा अप्रभावी अथवा रद्द कर आवासीय घोषित करने की व भवन निर्माण कंपाउंडिंग का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

9. शासनादेश संख्या 3452/9-आ-3-2004-55-वि./2002, दिनांक 30 अक्टूबर 2004 के आधार पर कार्यालय संयुक्त नियोजक, संभागीय नियोजन खंड, झांसी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश 803/4-A निकट पीएनटी कॉलोनी ग्वालियर रोड झांसी ने उरई विकास प्राधिकरण उरई में महायोजना 2021 को संशोधनों के लिए अनुमोदन करते हुए एजेंडा में शामिल करने का उचित कार्य किया था आदेश अवलोकनार्थ संलग्न है। कृपया प्रश्न

गत भूमि के संदर्भ में भी हमारी आपसे प्रार्थना है कि उचित वह प्रशंसनीय कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के द्वारा जारी विध्वंस निर्णय को वापस अथवा रिकॉल करने की कृपा करें और भू उपयोग परिवर्तन कर विकसित आवासीय/विकास को अगली महायोजना में सुनियोजित करें और प्रार्थी गणों को कंपाउंडिंग का अवसर प्रदान करें। श्रीमान जी पूर्व में विध्वंस आदेश के बाद प्राधिकरण को यही प्रार्थना पत्र दिनांक 03-02-2022 को दिया गया था जिस पर कोई रिसीविंग प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई थी। और जब पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा रहा है और इसकी एक प्रति कार्यालय संयुक्त नियोजक संभागीय नियोजन खंड झांसी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जा रही है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर प्रार्थना पत्र का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण करें अन्यथा की स्थिति में पीड़ित प्रार्थी गण माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।

श्रीमान जी सरकारी शासन और संस्थाएं सामाजिक हित एवं उत्थान के लिए कार्य करते हैं महोदय से अपेक्षा है कि सामाजिक और प्राकृतिक न्याय प्रार्थी गणों के साथ किया जाएगा।

दिनांक- 03/03/2022

संलग्नक

1. शासनादेश 3452/9-आ-3-2004-55-वि./2002, दिनांक 30 अक्टूबर 2004.

2. आदेश कार्यालय संयुक्त नियोजक, संभागीय नियोजन खंड, झांसी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश 803/4-A निकट पीएनटी कॉलोनी ग्वालियर रोड झांसी

प्रार्थी गण:

निवेदक - समस्त गुमनाबारा, पिछोर, महाराणा प्रताप नगर - झाँसी निवासी

नाम हस्ताक्षर

1. कान्ती देवी
2. बजरंगप्रसाद पाठक
3. श्रीमती सतीश गुप्ता
4. मोनिका तिवारी
5. परमानन्द पाल
6. रेखा देवी
7. पप्पू ठाकुर पत्नी सुनीता
8. मालती पाल + प्रवेश
9. स्नेहलता पाल
10. रोहित सिंह
11. रेजलाल
12. राजेन्द्र सिंह
13. ज्ञानवती
14. रति
15. मीरा यादव
16. शशि यादव
17. गीता द्विवेदी

U.P URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973

Section-54

51. Power to delegate.—(1) The State Government may by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make rules, may also be exercised by such officer in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

(2) The Authority, may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act, except the power to make regulations or bye-laws, may also be exercised by such officer or local authority, in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

(3) The Vice-Chairman of the Authority may by general or special order direct that any power exercisable by him under the Act may also be exercised by such officer of the Authority in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

52. Savings.—Nothing in this Act shall apply to—

(a) the carrying out of works for the maintenance, improvement or other alterations of any building, being works which affect only the interior of the building or which do not materially affect the external appearance of the building;

(b) the carrying out by any local authority or by any department of Government of any works for the purpose of inspecting, repairing or renewing any drains, sewers, mains, pipes, cables or other apparatus including the breaking open of any street or other land for that purpose;

(c) the operational construction (including maintenance, development and new construction), by or on behalf of a department of the Central Government;

(d) the erection of a building not being dwelling-house, if such building, is required for the purposes subservient to agriculture;

(e) the excavations (including wells) made in the ordinary course of agricultural operations; and

(f) the construction of unmetalled road intended to give access to land solely for agricultural purposes.

53. Exemption.—Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may by notification in the Gazette exempt, subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified in such notification, any land or building or class of lands or buildings from all or any of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder.

54. Plans to stand modified in certain cases.—(1) Where any land situated in the development area is required by the master plan or a zonal development plan to be kept as an open space or unbuilt upon or is designated in any such plan as subject to compulsory acquisition, then, if at the expiration of ten years from the date of coming into operation of the plan under Section 12 or where such land has been so required or designated by any amendment of such plan, from the date of coming into operation of such amendment, under sub-section (4) of Section 13, the land is not compulsorily acquired the owner of the land may serve on the State Government a notice requiring his interest in the land to be so acquired.

U.P URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973
Section-54

(2) If the State Government fails to acquire such land within a period of six months from the date of the notice, the master plan or, as the case may be, the zonal development plan shall have effect, after the expiration of the said six months, as if that land were not acquired to be kept as an open space or unbuilt upon or were not designated as subject to compulsory acquisition.

55. Power to make rules.—(1) The State Government may by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

[1][(a) the levy of fee on a memorandum of appeal under sub-section (5) of Section 15 or under sub-section (3) of Section 27;]

(b) the procedure to be followed by the [2][Chairman] in the determination of betterment charge, and the powers that it shall have for that purpose;

(c) any other matter which has to be or may be, prescribed by rules.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days, extending in its one session or more than one successive session, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

56. Power to make regulations.—(1) An Authority may, with the previous approval of the State Government, make regulations, not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, for the administration of the affairs of the Authority.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely —

(a) the summoning and holding of meetings of the Authority, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum thereat;

---

1. *Subs.* by Section 12 of U.P. Act 13 of 1975.
2. *Subs.* by Section 8 of U.P. Act 19 of 1976.

संलग्नक–7

Report of town planner regarding green area proposed in draft master plan 2031

कार्यालय, सहयुक्त नियोजक,
ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग, सम्भागीय नियोजन, खण्ड झांसी।

संख्या– 454 / सह0नियो0 / (2021–22) दिनांक 30 मार्च 2022

प्रेषक,

सहयुक्त नियोजक
ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग
सम्भागीय नियोजन, खण्ड
झांसी।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी।

विषय :– अमृत योजना अन्तर्गत झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण सीमान्तर्गत महायोजना 2021 एवं झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया (GIS Based) का विवरण निम्न प्रकार है :–

झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया – 1280.62 हे0
झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया – 2325.69 हे0

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

30/3/22
(एन.के.पुष्कर्णी)
सहयुक्त नियोजक
सम्भागीय नियोजन खण्ड, झांसी

Amit2022_88

Survey report regarding city Park area near Laxmital

CIN : U74999DL2017PTC313800

CITIYANO DE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

E-24, Gali No. 25, Madhu Vihar, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092
Website : www.citiyanode.com
Email : contact@citiyanode.com
citiyano.de@gmail.com
Phone No. : +91-120-4565040, +91-8076298926

Ref No:803/Reply_Landdetails/CDSPL-2021-22

Date: 30th March 2022

To
The Secretary
Jhansi Development Authority (JDA)
In front of Circuit House, Jhansi
Uttar Pradesh-284001.
Email: jda_jhansi@reddifmail.com

Subject: - Land Details of City Park in the Draft Master Plan prepared for 2031 - Reg

Refs: Letter No.1954/JDA/(2021-22) dated on 29th March 2022.

Respected Sir,

Thank you for your communication. As per your requirement in letter referenced above, we are hereby providing you the details of City Park, revenue village wise and the deviation in the Existing Master Plan-2021.

We would like to Thank in advance in anticipation of your kind support

Kindly refer the tentative table below for the same.

S.No	Revenue Village	Total Area of City Park (Ha)	Area of City Park		Deviation (Ha)	Vacant Land (Ha)
			Private (Ha)	Govt. (Ha)		
1	Pichhorre	37.73	37.73	-	29.19	8.54
2	Talpura	11.31	11.31	-	10.85	0.46
3	Dadiyapura	121.44	76.70	44.74	60.38	16.32
	Total	170.48	125.74	44.74	100.42	25.32

Copy To:
The Secretary General, ISPER, Panchukula, Haryana.

Yours Sincerely

30/03/22.

Bhargav Kumar Gorrigala,
Asst. Manager Planning,
Citiyano De Solutions Pvt. Ltd.

संलग्नक–9.1

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

झाँसी नगर के लक्ष्मी ताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में चिहांकित सूचीबद्ध अवैध निर्माण के विरूद्ध
झाँसी विकास प्राधिकरण, न्यायालय द्वारा कृत कार्यवाही

क्र0 सं0	नोटिस संख्या	पक्षकारों का नाम	आराजी संख्या/क्षेत्रफल	बैनामा दिनांक	ध्वस्तीकरण का आदेश	अपील लम्बित/न्यायालय मण्डलायुक्त, झाँसी	न्यायालय मण्डलायुक्त, झाँसी मण्डल/अध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी द्वारा पारित आदेश का विवरण	अपील में निर्णय के उपरान्त कृत कार्यवाही	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	33/2015–14	श्रीमती गीता देवी कुशवाहा पत्नी श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.11.2019 निर्गत।	–	–	–	–
2	34/2015–15	श्री के0आर0 टोकसे पुत्र श्री राधा किशन टोकसे एवं श्री भगवान दास पुत्र श्री सुनके	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.11.2019 निर्गत।	–	–	–	–
3	35/2015–16	श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री राम नाथ आदि	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.11.2019 निर्गत।	–	–	–	–
4	60/2015–16	श्रीमती सुधा तिवारी पत्नी श्री संतोष तिवारी	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.09.2015 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 30.07.2021 जारी।	–	–	–	–
5	61/2015–16	श्री विक्रम सिंह परिहार	843/83.64 वर्गमीटर	10.04.2015	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.09.2015 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 30.07.2021 जारी।	–	–	–	–
6	62/2015–16	श्रीमती मूर्ति देवी			ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.09.2015 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 04.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
7	63/2015–16	श्रीमती राम देवी पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश	833/81.32 वर्गमीटर	30.10.2014	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 07.10.2015 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 30.07.2021 जारी।	–	–	–	–
8	64/2015–16	श्री पुष्पेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 श्री रामसहाय	833/81.32 वर्गमीटर	30.10.2014	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 07.10.2015 निर्गत।	अपील लम्बित दि0–02.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 28.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
9	36/2016–17	श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री सत्येन्द्र कुमार व अन्य	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 18.07.2016 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 30.07.2021 जारी।	–	–	–	–

संलग्नक–9.2

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

10	37/2016–17	श्रीमती जमीला बानो पत्नी श्री मज्जन खा	829/127.50 वर्गमीटर	17.08.2011	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 15.07.2016 निर्गत।	अपील लम्बित	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 28.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
11	38/2016–17	श्री बब्लू हरीओम व अन्य	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 15.07.2016 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 30.08.2021 जारी।	–	–		
12	39/2016–17	श्रीमती रिती श्रोतिया पत्नी श्री बृजेश कुमार व अन्य	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 18.07.2016 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 04.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
13	40/2016–17	श्रीमती सुकृता देवी पत्नी श्री कैलाश नारायण व अन्य	843/162.64 वर्गमीटर	16.12.2008	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 18.07.2016 जारी।	अपील लम्बित	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 17.02.2022 निर्गत।	–
14	41/2016–17	श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार व अन्य	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 15.07.2016 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 30.07.2021 जारी।	–	–	–	–
15	10/2017–18	श्री पप्पू ठाकुर	826/139.40 वर्गमीटर	31.01.2012	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि0–22.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 25.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
16	12/2017–18	श्रीमती रेखापाल पत्नी श्री हरीसिंहपाल	827/111.52 वर्गमीटर	26.02.2014	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि0–22.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 25.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
17	20/2017–18	श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बी0एल0 श्रीवास्तव	818/111.52 वर्गमीटर	29.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि0–23.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 28.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
18	21/2017–19	श्री मानवेन्द्र सिंह	819/820,/104.49 वर्गमीटर	24.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 09.08.2017 जारी।	–	आदेश 27.09.2021 निर्गत।	–	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं0–28188/2021 में रिवीजन के लिए निर्देश दिए गए।
19	68/2017–18	श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार वर्मा (प्रतिस्थापित) श्री शिशुपाल यादव	820/83.64 वर्गमीटर 829/83.64 वर्गमीटर	बैनामा दि0–14.10.2009 तितम्मा दि0–25.05.2018 08.02.2016	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि0–10.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 निर्गत।	–
20	69/2018–19	श्रीमती प्रीति वर्मा पत्नी श्री बी0एस0 वर्मा	844/139.44 वर्गमीटर	30.05.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 04.02.2022 निर्गत।	–	–		

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

21	70/2018–19	श्री जाहर सिह यादव	844/148.70 वर्गमीटर	16.01.2010	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 04.02.2022 निर्गत	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
22	72/2018–19	श्री राकेश अहिरवार	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 04.02.2022 निर्गत	–	–	–	–
23	73/2018–19	श्रीमती मानकुँवर देवी पत्नी श्री नन्दलाल वर्मा	826/111.52 वर्गमीटर	04.01.2016	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 04.02.2022 निर्गत	–	–	–	–
24	74/2018–19	श्री रजनीकान्त गोस्वामी			ध्वस्तीकरण आदेश दि0 04.02.2022 निर्गत	–	–	–	–
25	93/2018–19	श्री उमेश नायक	752/105.13 वर्गमीटर	22.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.02.2022 जारी।	–	–	–	–
26	94/2018–19	श्री जगत पाल पुत्र श्री श्रीपाल	853/167.22 वर्गमीटर	31.03.1990	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 10.02.2022 जारी।	–	–	–	–
27	95/2018–19	श्री दिलीप शर्मा	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 जारी।	–	–	–	–
28	97/2018–19	श्री विवेक कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 11.02.2022 निर्गत।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
29	98/2018–19	श्री अंशुल कुमार सोनी	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 02.09.2021 निर्गत।	अपील लम्बित	–	–	–
30	99/2018–19	श्रीमती आत्मा देवी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 04.08.2021 जारी।	–	–	–	–
31	100/2018–19	श्री दीपक शर्मा	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 21.01.2019 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
32	101/2018–19	श्रीमती निर्मला	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 निर्गत।	–	–	–	–
33	102/2018–19	श्रीमती कमला पत्नी श्री फूलचन्द्र कुशवाहा	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 जारी।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
34	103/2018–19	श्रीमती सुनीता अहिरवार पत्नी श्री कमलेश अहिरवार	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.08.2021 जारी।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
35	104/2018–19	श्रीमती सुनीता द्विवेदी पत्नी श्री प्रेम सागर द्विवेदी	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 22.06.2019 जारी।	–	–	–	–
36	105/2018–19	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री राजेश	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.02.2022 निर्गत।	–	–	–	–
37	106/2018–19	श्रीमती मंजू देवी	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 22.06.2019 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
38	107/2018–19	श्री भगवान दास	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 22.06.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–

संलग्नक–9.4

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

39	108/2018–19	श्रीमती विजया तिवारी	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 22.06.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
40	109/2018–19	श्रीमती रानी रायकवार	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 22.06.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
41	110/2018–19	श्री प्रेम प्रताप सिंह पुत्र श्री रूप सिंह	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 निर्गत।	–	–	–	–
42	111/2018–19	श्री गुलाब सिंह यादव	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी	–	–	–	–
43	112/2018–19	श्रीमती ऊषा पाठक पत्नी श्री ओमकान्त पाठक	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 05.01.2019 निर्गत।	–	–	–	–
44	113/2018–19	श्री संतोष कुमार वर्मा	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 24.12.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
45	114/2018–19	श्रीमती जयदेवी पत्नी श्री हरीराम	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
46	115/2018–19	श्री बजरंग दास पाठक पुत्र श्री रघुवीर दास पाठक	819/137.45 वर्गमीटर	24.09.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 05.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित दि0–07.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 25.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
47	116/2018–19	श्रीमती सावित्री तिवारी			ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
48	117/2018–19	श्रीमती ममता देवी शर्मा			ध्वस्तीकरण आदेश दि0 08.01.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
49	118/2018–19	श्रीमती प्रीती शर्मा			ध्वस्तीकरण आदेश दि0 04.08.2021 निर्गत।	–	–	–	–
50	120/2018–19	श्रीमती स्नेहलता पाल पत्नी श्री संतराम पाल	849, 823/55.76 वर्गमीटर	11.02.2014	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 02.09.2021 निर्गत।	–	–	–	–
51	121/2018–19	श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी श्री घनश्याम दास बाबू	849/169.29 वर्गमीटर	10.03.2010	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 निर्गत	–	–	–	–
52	122/2018–19	श्रीमती मन्नू देवी पत्नी श्री बालाराम	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 निर्गत।	–	–	–	–
53	123/2018–19	श्रीमती रामश्री यादव पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह यादव	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दिनांक 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

54	124/2018–19	श्रीमती फूलकुंवर पत्नी श्री काशीराम	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.03.2019 जारी। उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
55	125/2018–19	श्री अशोक पाल पुत्र श्री सीताराम पाल	823/92.~~04~~ वर्गमीटर	13.11.2013	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 05.08.2021 जारी।	–	–	–	–
56	126/2018–19	श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी श्री अरविन्द कुमार	843/83.64 वर्गमीटर	27.03.2015	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 21.08.2021 निर्गत।	–	–	–	–
57	127/2018–19	श्रीमती बबीता पत्नी श्री रमाकान्त	843/116.17 वर्गमीटर	27.05.2016	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 05.08.2021 जारी।	–	–	–	–
58	128/2018–19	श्री जयकुंवर पत्नी श्री हरीराम राजपूत			ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
59	129/2018–19	श्री पतिराज पुत्र श्री रमईराम	741/116.17 वर्गमीटर	19.09.2002	ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 02.09.2019 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
60	130/2018–19	मो0 रफीक अहमद पुत्र श्री मुन्ना खान	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 05.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित	–	–	–
61	131/2018–19	श्रीमती प्रकाश रानी पत्नी श्री लल्लू कुशवाहा	740/113.85 वर्गमीटर	11.09.2013	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 05.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित दि0 14.02.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 24.01.2022 निर्गत।	–
62	132/2018–19	श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री कृष्ण बिहारी दुबे	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 21.08.2021 निर्गत।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
63	133/2018–19	श्रीमती सुमन पत्नी श्री पंजाब सिंह	739/139.40 वर्गमीटर	22.08.2012	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित दि0–05.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 25.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
64	135/2018–19	श्रीमती मेवारानी पत्नी श्री रामसेवक पाल	853/111.52 वर्गमीटर	07.09.2011	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 05.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 25.01.2022 निर्गत।	–
65	144/2018–19	श्रीमती आशा पत्नी श्री कैलाश वर्मा	641/58.08 वर्गमीटर	14.11.2007	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.02.2022 निर्गत।	–	–		–
66	145/2018–19	श्री राजीव राजपूत एवं श्रीमती रानी राजपूत पत्नी श्री राजीव राजपूत	752/134.76 वर्गमीटर	22.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित	आदेश 11.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 25.01.2022 निर्गत।	–
67	146/2018–19	श्री अंशुल शुक्ला पुत्र श्री अशोक शुक्ला	821/86.52 वर्गमीटर	02.08.2010	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 17.02.2022 जारी।	–	–	–	–
68	147/2018–19	श्री हरगोविन्द प्रजापति	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 26.02.2022 जारी।	–	–	–	–

संलग्नक–9.6

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

69	148 / 2018–19	श्री प्रकाश नारायण यादव पुत्र श्री विश्व प्रताप	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 13.08.2021 जारी।	–	–	–	–
70	149 / 2018–19	श्रीमती गीता द्विवेदी पत्नी श्री रमेश चन्द्र	754 / 167.28 वर्गमीटर	10.12.2014	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 12.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित दि0–07.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी। मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 24.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
71	150 / 2018–19	श्री पंकल निरंजन	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 13.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
72	151 / 2018–20	श्री कृष्ण कुमार पाठक (के0के0 पाठक)	752 / 134.76 वर्गमीटर	22.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 जारी।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
73	152 / 2018–19	श्री आनन्द मोहन मिश्रा एवं श्रीमती शालिनी मिश्रा पत्नी श्री आनन्द मोहन	752 / 134.76 वर्गमीटर	21.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.08.2021 निर्गत		आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 24.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
74	153 / 2018–19	श्री काशीप्रसाद तिवारी	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 13.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित	–	–	–
75	154 / 2018–19	श्री अमित राय पुत्र श्री अंकित राय	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 02.09.2021 निर्गत।	–	–	–	–
76	155 / 2018–19	श्री जगतराज यादव	752 / 161.71 वर्गमीटर	21.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 13.08.2021 निर्गत		आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 24.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
77	156 / 2018–19	श्रीमती आत्मा देवी पत्नी श्री जितेन्द्र प्रजापति	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 निर्गत	–	–	–	–
78	157 / 2018–19	श्रीमती भागीरथी पत्नी श्री ओम प्रकाश	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 18.12.2018 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दिनांक 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
79	158 / 2018–19	श्रीमती आशालता राजपूत	752 / 167.28 वर्गमीटर	24.06.2019	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 13.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित	–	–	–
80	159 / 2018–19	श्री भूरेलाल पुत्र श्री बालाजी पाल	823 / 92.94 वर्गमीटर	13.11.2013	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 13.08.2021 जारी।	–	–	–	–
81	160 / 2018–19	श्रीमती लली देवी पत्नी श्री कन्हैया लाल	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 जारी।	–	–	–	–
82	161 / 2018–19	श्रीमती रानी पत्नी श्री बच्चीलाल	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 जारी।	–	–	–	–
83	162 / 2018–19	श्रीमती संजु सिहोतिया पत्नी स्व0 श्री हरीशचन्द्र	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 13.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
84	163 / 2018–19	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री रामप्रताप टैगोर	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 04.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

85	164/2018–19	श्री दीपक कुमार यादव पुत्र श्री धनाराम यादव	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि0 21.08.2021 जारी।	–	–	–	–
86	199/2018–19	श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री रामनरेश शर्मा	828/223.04 वर्गमीटर	11.08.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि0–10.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 24.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
87	200/2018–19	श्रीमती कान्ती देवी	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 18.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
88	248/2018–19	श्रीमती राममूर्ति पाण्डेय पत्नी स्व0 श्री रमाशंकर	827/334.57 वर्गमीटर	21.05.2021	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.2021 निर्गत।	–	–	निर्माण कार्य हटाया गया।	–
89	255/2018–19	श्री मुन्ना कुशवाहा एवं श्री नरेन्द्र कुशवाहा	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 17.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित	–	–	–
90	260/2018–19	श्री वान सिंह आदि	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 17.02.2022 जारी।	–	–	–	–
91	04/2019–20	श्री रामशरण व श्री अन्नू	820/75.28 वर्गमीटर	26.09.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 28.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
92	39/2019–20	श्री कौशल यादव	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 16.08.2021 जारी।	–	–	–	–
93	105/2019–20	श्री अजय रायकवार पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल रायकवार	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 03.09.2019 जारी।	–	–	–	–
94	108/2019–20	श्री शिव कुमार तिवारी पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 29.08.2019 जारी।	–	–	–	–
95	133/2019–20	श्री हबीब अहमद पुत्र श्री हाजी मोहम्मद	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 10.01.2020 जारी।	–	–	–	–
96	137/2019–20	श्री रॉबिन्सन तिवारी पुत्र श्री कैलाश नारायण तिवारी	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 20.02.220 जारी।	–	–	–	–
97	182/2019–20	श्री विनय वाल्मीकि पुत्र स्व0 श्री विजय वाल्मीकि	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 16.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
98	183/2019–20	श्री अशोक कुशवाहा पुत्र श्री गोविन्द दास एवं श्री बृजेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री चन्द्रभान कुशवाहा	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 16.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	–	–	–
99	249/2019–20	श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री नारायण दास गुप्ता	820/161.71 वर्गमीटर	03.02.2010	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि0 02.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 24.01.2022 निर्गत।	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन

Page 7 of 8

संलग्नक–9.8

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

100	254/2019–20	श्रीमती रजनी रायकवार पत्नी श्री अजय रायकवार	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 16.08.2021 जारी।	–	–		
101	255/2019–20	श्री विनोद वंशकार पुत्र श्री उत्तम सिंह	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 30.07.02021 जारी।	अपील लम्बित	–		मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
102	288/2019–20	श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री अवधकिशोर	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.08.2021 जारी।	–	–		–
103	09–सचिव/2020–21	श्री धनीराम कुशवाहा	844/130.11 वर्गमीटर	13.02.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 17.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि0–05.03.2022	–		–
104	17–सचिव/2020–21	श्रीमती रेखा श्रीवास्तव पत्नी श्री महेन्द्र श्रीवास्तव	–		ध्वस्तीकरण आदेश दि0 26.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि–10.03.2022	–	–	–
105	18–सचिव/2020–21	श्रीमती गनेशी पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 14.02.2022 जारी।	–	–	–	–
106	220–सचिव/2020–21	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री गौरीशंकर	752/222.96 वर्गमीटर	28.01.2022	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 28.01.2022 जारी।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
107	09–सचिव/2021–22	श्रीमती ऊषा दुबे पत्नी श्री मोहन दुबे	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 04.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि0–25.02.2022	–	–	–
108	59–सचिव/2021–22	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्यामलाल	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 10.02.2022 जारी।	–	–	–	–
109	60–सचिव/2021–22	श्री रोहित सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.02.2022 जारी।	अपील दिनांक 22.03.2022	–	–	–
110	61–सचिव/2021–22	श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि0–05.03.2022	–	–	–
111	62–सचिव/2021–22	श्री बृजेन्द्र केवट (सर) पुत्र श्री भगवान दास	–	–	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 11.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि0–21.02.2022	–	–	–
112	64–सचिव/2021–22	श्री गोविन्द दास प्रजापति पुत्र श्री सुनसुन प्रजापति	724, 747, 748, 749,751/0.404 हे0	30.03.2002	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 26.02.2022 जारी।	–	–	–	–
113	123–सचिव/2021–22	श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री भगवान दास	839/89.40 वर्गमीटर	27.12.2008	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 03.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि0–10.02.2022	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
114	151–सचिव/2021–22	श्री हरीदास कुशवाहा पुत्र श्री भगवान दास	लेख प्रपत्र सं0–36 नकल नं0–870/2000	05.09.2000	ध्वस्तीकरण आदेश दि0 26.02.2022 जारी।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन
115	152–सचिव/2021–22	श्रीमती शीला कुशवाहा			ध्वस्तीकरण आदेश दि0 26.02.2022 जारी।	–	–	–	मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन

Court No. - 29

Case :- WRIT - C No. - 8051 of 2022

Petitioner :- Arjun Singh And 42 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Kamini Pandey (Dubey),Lavlesh Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Prabhat Tripathi

Hon'ble Pritinker Diwaker,J.
Hon'ble Ashutosh Srivastava,J.

Counsel for respondent nos. 2 and 3 prays for and is granted three weeks' time to file counter.

List this case in the week commencing 23.5.2022.

In the meanwhile, no demolition activities shall take place.

Order Date :- 25.4.2022
RK

(Ashutosh Srivastava, J) (Pritinker Diwaker, J)

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2022.04.25 16:47:40 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature

संलग्नक–11.1

Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital

Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital

Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital

Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital

Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital

Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital

Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital

संलग्नक–12.1

Report of A.I.G. Stamp and Registration, Jhansi showing compliance of instructions regarding open Land Parks etc.

1,

प्रेषक,

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
जनपद झॉसी ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
झॉसी विकास प्राधिकरण झॉसी ।

पत्र सं0 211 / स0म0नि0– निरीक्षण (2021–22) दिनॉक – 29. 3. 2022

विषय मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 19.12.2018 का शत प्रतिशत अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वरा कार्यालय उप निबन्धक झॉसी सदर प्रथम व द्वितीय में निबंधित हस्तान्तरण लेखपत्रों का अवलोकन किया । अवलोकन में यह पाया गया कि कार्यालयों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 19.12.2018 के निर्देश के अनुपालन के अनुकम में झॉसी विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये गाटा नम्बरों की सूची से सम्बंधित भूमि के सम्बन्ध में लेखपत्रों में अग्रांकित तथ्य यथा प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पटिटका, कीडास्थल ,महायोजना मार्ग भू–उपयोग आदि की भूमि न होने के सम्बंध पक्षकारों के द्वारा लेखपत्र में धोषणा की जा रही है । भविष्य में पंजीकृत होने वाले लेखपत्रों के सम्बन्ध में सतत निगरानी बनायी रखी जायेगी ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
झॉसी ।

संलग्नक–12.2

Report of A.I.G. Stamp and Registration, Jhansi showing compliance of instructions regarding open Land Parks etc.

प्रेषक,

उप निबन्धक
झॉसी सदर प्रथम व द्वितीय।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
झॉसी विकास प्राधिकरण झॉसी ।

पत्र सं0 ५६(i) / एस0आर0प्रथम– विविध (2021–22) दिनॉक २९-३-२२

विषय मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 19.12.2018 का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय उप निबन्धक झॉसी सदर प्रथम व द्वितीय में निबंधित हस्तान्तरण लेखपत्रों में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 19.12.2018 के निर्देश के अनुपालन के अनुक्रम में झॉसी विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये गाटा नम्बरों की सूची से सम्बंधित भूमि के सम्बन्ध में लेखपत्रों में अग्रांकित तथ्य यथा प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पटिटका, क्रीडास्थल ,महायोजना मार्ग भू–उपयोग आदि की भूमि न होने के सम्बंध पक्षकारों के द्वारा लेखपत्र में घोषणा की जा रही है । कार्यालय द्वारा मा0 न्यायालय के निर्देश को शत प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है एवं भविष्य में किया जाता रहेगा ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप निबन्धक
झॉसी सदर,प्रथम / द्वितीय
29/3/22

प्रतिलिपि–

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन झॉसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप निबन्धक
झॉसी सदर,प्रथम / द्वितीय

Report of A.I.G. Stamp and Registration, Jhansi showing compliance of instructions regarding open Land Parks etc.

1341

प्रेषक,

उप निबंधक
झांसी सदर प्रथम/द्वितीय।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।

पत्रांक 46A(1)/एस0आर0 विविध– 2021–22 दिनांक

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सम्बंध में अवगत कराना है कि कार्यालय उप निबंधक झांसी सदर प्रथम व द्वितीय में निबंधित हस्तान्तरण लेखपत्रों में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 के अनुकम में कार्यालयों द्वारा बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् है–

क0 सं0	बिन्दु	अनुपालन
1	गाटा संख्या, ग्राम तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
2	झांसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना–2021 में सम्मिलित होने की दशा में विकास प्राधिकरण झांसी क्षेत्र का नाम अंकित किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
3	सम्बंधित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, कीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू–उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
4	उक्त प्रस्तर 'ग' में उल्लिखित भू–उपयोग के विरूद्व निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु केता उत्तरदायी होगा की सहमति अनिवार्य रूप से अंकित की जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।

अतः उक्त बिन्दुओं के सम्बंध में दिये गये निर्देशो का शत प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है। सूचना सादर प्रेषित।

29/3/22
उप निबंधक
झांसी सदर प्रथम

29/03/2022
उप निबंधक
झांसी सदर द्वितीय

प्रतिलिपि– सहायक महानिरीक्षक निबंधन झांसी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निबंधक
झांसी सदर प्रथम

उप निबंधक
झांसी सदर द्वितीय

Report of A.I.G. Stamp and Registration, Jhansi showing compliance of instructions regarding open Land Parks etc.

1342

प्रेषक,

सहायक महानिरीक्षक निबंधन
झांसी।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।

पत्रांक 211(1) /एस0आर0 विविध– 2021–22 दिनांक 29/3/22

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सम्बंध में अवगत कराना है कि कार्यालय उप निबंधक झांसी सदर प्रथम व द्वितीय के पत्र संख्या 46 (ए–1)/एस0आर0/ दिनांक 29.03.20222 में अवगत कराया गया है कि कार्यालयों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 का अनुपालन बिन्दुवार रूप से किया जा रहा है। उक्त पत्र के अलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप निबंधक कार्यालय सदर के कुल लेखपत्रो का अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि उप निबंधको द्वारा बताई गयी सूचना तथ्यात्मक रूप से सही है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

क0 सं0	बिन्दु	अनुपालन
1	गाटा संख्या, ग्राम तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
2	झांसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना–2021 में सम्मिलित होने की दशा में विकास प्राधिकरण झांसी क्षेत्र का नाम अंकित किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
3	सम्बंधित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, कीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू–उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
4	उक्त प्रस्तर 'ग' में उल्लिखित भू–उपयोग के विरूद्व निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु केता उत्तरदायी होगा की सहमति अनिवार्य रूप से अंकित की जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।

अतः कार्यालय में निबंधित लेखपत्रों के यादृच्छिक रूप से (रेन्डम) किये गये निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि उप निबंधको द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जा रहा है।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन
झांसी।

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

सेवा में,

1– आयुक्त,
झाँसी मण्डल,
झाँसी।

2– डॉ0 डी0के0 सोनी,
वैज्ञानिक–ई,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय,
लखनऊ।

संख्या– [handwritten] /जे0डी0ए0–2022 दिनाँक : 03 जून ,2022

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या–165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 25–01–2022 में आवेदक द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लगाये गये कथित आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण एवं तत्सम्बन्धी आख्या तैयार किए जाने हेतु आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश, दिनांक 25–01–2022 में आवेदकगण में मुख्य शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों पर अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं से कथित वसूली करने एवं भ्रष्टाचार करने सम्बन्धी आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों के सम्बन्ध में आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा को प्राधिकरण द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा संतुष्ट होकर दिनांक 23–04–2022 को इस आशय का शपथपत्र उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रस्तुत आपत्ति में उपाध्यक्ष एवं सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण के विरूद्ध जो भ्रष्टाचार किए जाने सम्बन्धी शिकायत की गयी है वह सुनी–सुनाई बातों आधारित हैं तथा उनके पास इस सम्बन्ध में कोई लिखित व मौखिक साक्ष्य नहीं हैं। उसके द्वारा अपने शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि उसके भूमि विवाद के प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उसके द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार किए जाने सम्बन्धी शिकायत की गयी है। शपथपत्र की प्रति समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अन्तिम रिपोर्ट में इस विषयक संज्ञान लेने की कृपा करें।

संलग्नकः– शपथपत्र दिनांक 23–04–2022 की प्रति।

भवदीय

(सर्वेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY GOVT OF UP

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FZ 479331

शपथ–पत्र समक्ष उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी।

द्वारा श्री नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना कुशवाहा उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी–पिछोर, नारायण बाग के पास थाना–नवाबाद, झांसी का निवासी हूँ।

शपथकर्ता निम्न सशपथ बयान करता है:–

1. यह कि मेरे द्वारा विभिन्न स्तरों पर विकास प्राधिकरण में श्री सर्वेश कुमार (उपाध्यक्ष), श्री त्रिभुवन विश्वकर्मा (सचिव),अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण झांसी तथा शासन के सम्बन्धित कार्यों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार की शिकायतें की गयी हैं, वह सुनी – सुनाई बातों पर आधरित है। मेरे पास भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में कोई लिखित व मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

2. यह कि प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध मे शिकायतें मेरा प्राधिकरण में भूमि विवाद सम्बन्धी कार्य न होने के कारण की गई है।

--------P.T.O

नरेन्द्र कुशवाहा

CS Scanned with CamScanner

2.

3. यह कि बाद में गहराई से पता करने पर यह संज्ञान में आया की मेरे द्वारा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कार्मचारियों कें विरूद्व जो भ्रष्टाचार किये जानें सम्बन्धी सुनी–सुनाई बाते की गई है, वह निराधार है।

4. यह कि प्राधिकरण के अधिकारी/कार्मचारियों के विरूद्व किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में नही है।

5. यह कि प्राधिकरण के अधिकारी/कार्मचारियों के विरूद्व भ्रष्टाचार किये जाने की आधारहीन शिकायतें मेरे द्वारा इस कारण की गई है कि मौजा पिछोर में मेरे पिता जी के नाम भूमि को कुछ भू–माफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से बेच दिया गया है, मेरे द्वारा वह जमीन प्राप्त करने के लिये लगातार प्राधिकरण में तथा विभिन्न न्यायालयों में पैरवी की गई है तथा प्राधिकरण द्वारा ठोस सहयोग नही किया गया है।

6. यह कि शपथ–पत्र में अनुरोध है कि मेरे पिता श्री मुन्ना कुशवाहा के नाम की जमीन का प्राधिकरण स्तर से भी छानबीन की जाये तथा कुछ भू–माफियों द्वारा जो अन्याय किया गया है उसमें प्राधिकरण द्वारा नियमो के अन्तर्गत मेरे पिता जी का सहयोग किया जाए।

7. उपरोक्त बयान मैं अपने सम्पूर्ण होशोहवाश तथा बिना किसी दबाव के दे रहा हूँ ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनाँक 23.04.2022

शपथकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना कुशवाहा
निवासी–पिछोर, नारायण बाग के पास
थाना नवाबाद, झांसी उ0प्र0
मों0न0 9452041529

No. 393
Certified that the foregoing statement was made before me this day by Shri Narendra to whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by Shri ... received the legal fee Rs. 35/00 each

PRAKASH NARAIN ...
NOTARY DISTRICT ...
23-4-2022

CS Scanned with CamScanner

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

09 SEP 2022
कार्यालय ... झाँसी
सेवा में,

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

आयुक्त
झाँसी मण्डल, झाँसी।

पत्रांक:–1582/जे0डी0ए0/2022–23 दिनांक:–09 सितम्बर, 2022

विषय:– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–165/2021 गिरजा शंकर एवं अन्य बनाम् स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त आख्या का प्रेषित किया जाना।

AO / RevA

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–1987/26–विकास सहायक–5 (2021–22) दिनांक 01.09.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :–

अपर आयुक्त (प्रशासन)
झाँसी मण्डल, झाँसी
09-9-2022

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ0ए0 संख्या–165/2021, गिरजा शंकर एवं अन्य बनाम् स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में दाखिल किये गये 100 बैनामों की सूची प्राधिकरण को प्राप्त नही है। प्राधिकरण द्वारा 100 बैनामों की सूची प्राप्त की जा रही है, शीघ्र ही जांच कर प्रेषित कर दी जाएगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महा निरीक्षक, निबंधन उ0प्र0 के पत्र संख्या–2582/शि.का.लख./2020 विविध (आर.के.एस.) दिनांक 27.11.2020 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 168/आठ–3–20–206 विविध/18 टी.सी., अनुभाग–3 दिनांक 19.02.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सहायक महा निरीक्षक, निबंधक, झाँसी के पत्र संख्या–211(1)/एस.आर. विविध 2021–22, दिनांक 29.03.2022 के द्वारा अनुपालन किये जाने की पुष्टि की गयी है।
2. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नगर पार्क हेतु प्रस्तावित निजी कास्तकारों की भूमि 125.74 है0 में से निजी कास्तकारों की 100.42 है0 भूमि को मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में भू–उपयोग नगर पार्क के स्थान पर आवासीय किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है। नगर पार्क हेतु झाँसी महायोजना–2021 में प्रस्तावित उक्त भूमि के बदले में झाँसी महायोजना–2031 (ड्राफ्ट) में राजस्व ग्राम बिजौली में 210.00 है0 भूमि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित की गई है।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(आलोक यादव)
उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

Scanned with CamScanner

(28)

NGT Order/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपनिबन्धक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–2582/शि0का0लख0/2020 विविध (आर0के0एस0) दिनांक 27 नवम्बर,2020

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 380/2018 में पारित आदेश के कम में भूमि के कय विकय के समय निष्पादित किये जाने वाले अभिलेख में कतिपय विवरण सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या 1146/आठ–3–20–2006 विविध/18 टी0सी0 दिनांक 24.09.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 17.01.2020 को पारित आदेश के प्रभावी अंश को उल्लिखित करते हुए विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, कीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग के भू–उपयोग के विरूद्ध अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक–थाम हेतु विकय विलेख में निम्नवत विवरण का अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है:–

(क) गाटा संख्या, ग्राम, तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जाय।

(ख) विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र में सम्मिलित होने की दशा में सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र का नाम अंकित किया जाय।

(ग) सम्बन्धित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग, पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, कीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू–उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जाय।

CS Scanned with CamScanner

(घ) उक्त प्रस्तर 'ग' में उल्लिखित भू–उपयोग के विरूद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु केता उत्तरदायी होगा की सहमति अनिवार्य रूप से अंकित की जाय।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित विभाग (विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र) द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण का अंकन पंजीकृत होने वाले विलेखों में अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

27/11/2020

(मिनिस्ती एस0)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. विहित प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

(मिनिस्ती एस0)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

(29)

ANNEXURE - 2

अत्यंत महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 के आदेश
संख्या–168/आठ–3–20–206 विविध/18 टी.सी.

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2020

विषयः भू–उपयोग के विरूद्व अवैध निर्माण तथा विद्यमान नियमों के संबंध में कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 17.01.2020 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं :–

"...... In view of the aforesaid backdrop, we have been taken by surprise today when it was submitted on behalf of the State Government that a meeting has been called for discussions/consultation in respect of the issue involved in this case. A letter in this regard has been issued by the Deputy Secretary, Urban and Housing Department, State of UP on 14.01.2020 to eight officers which includes Principal Secretary, Law; Additional Chief Secretary, Revenue; Principal Secretary, Stamps and Registration; Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department, Principal Secretary; Urban Development Department; Principal Secretary, Text and Registration Department; Advisor (Planning), Urban Development and Advisor (Development), Urban Development Department. The meeting is proposed to be held on 22.01.2020 under the Chairmanship of the Chief Secretary.

A bare perusal of the letter dated 14.01.2020 reveals that all the officers who have been called are not directly concerned with the issue involved herein i.e. to prevent selling part of the land to other individuals for the purpose of residence, whereas the same is for park/open space.

Moreover, the meeting so called is only for the purpose of discussion. As mentioned earlier, on numerous occasions it has been stated before us on behalf of State Government that a policy would be immediately framed and looking to the nature of the issue involved, even an interim measure by way of an ordinance shall be taken so that no encroachments are made on land earmarked for parks and green belts.

The aforesaid narration of facts and the proceedings in this case wherein statements had been made on different occasions for the purpose of ensuring that the land meant for park and green belt would be retained safely without encroachment had all been without any result. We find that ever-since the year 2014 when a representation was given to the concerning department and even during the pendency of the present case before us where many years have been passed, no concrete steps have been taken by State of Uttar Pradesh. We are sure that during this intervening period of more than five years much change must has taken place at the site and the land must have been used for different purposes by the individuals by claiming title in the property in question as having been purchased through registered sale deed. All this has happened due to the snail speed with which the respondent Government and its authorities have been proceeding.

In view of the above, we direct the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh to take a final decision, for framing a policy or amending the relevant legislation for the purpose of saving/protecting the land which is meant for park and green belt under the Urban Master Plan of the State, on or before 31st January, 2020.

A copy of this order be sent to the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh through e-mail forthwith.

List the matter on 12th February, 2020."

2– उक्त के कम में भू–उपयोग के विरूद्व अवैध निर्माण तथा विद्यमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(1) विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग भू–उपयोग से सबंधित गाटा संख्या/खसरा संख्या/आराजी संख्या का विवरण तथा राजस्व मानचित्र पर सुपर इम्पोज

Scanned with CamScanner

करते हुए मानचित्र संबंधित अभिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड करते हुए जनपद स्तर के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(2) जनपद स्तर पर संबंधित प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र तथा नगर नियोजन विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय के अधिकारियों को महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के सजरा पर सुपर इम्पोज किये जाने तथा भूमि के गाटा संख्या भू–उपयोग आदि विवरण का विक्रय विलेख में अंकन के संबंध में वर्कशाप आयोजित करायी जाय।

3– अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार यथोचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :163(1)/आठ–3–20–206 विविध/18टी.सी.–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित को आदेश की प्रति संबंधित को तामील कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

14/02/2020

Oath Commissioner

12/03/20

(शम्भू प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी एवं शपथ आयुक्त
न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियाँ)
उ० प्र० शासन

Scanned with CamScanner